

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2016—कार्तिक 13, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2016

क्र. ई-5-685-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. आहूजा, आयएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) को दिनांक 1 नवम्बर 2016 से दिनांक 11 नवम्बर 2016 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13, 14 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-972-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष भार्गव, आयएस, अपर कलेक्टर, जिला भोपाल को समसंख्यक आदेश

दिनांक 28 सितम्बर 2016 द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2016 तक चौतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 17 अक्टूबर 2016 से दिनांक 11 नवम्बर 2016 तक छब्बीस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2016 अनुसार यथावत।

क्र. ई-5-992-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवि डफरिया, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक

12 से 16 सितम्बर 2016 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्र. 4006-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पुल निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का विवरण	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
बालाघाट	लालबर्वा	धरपीवाड़ा	रकबा 0.173 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला-बालाघाट।	बडगुड़ नाले पर पुल निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण।		

- (2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट dmbalaghat@nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), बालाघाट, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

प्र. क्र. 9912-भू-अर्जन-02-अ-82-2016-2017.—मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 12-2-2-014-सात 2ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अंतर्गत खिरकिया नहर (मध्यम परियोजना) की 1 आर माइनर के लिए सूची अनुसार भू-धारकों की निजी कृषि भूमि ग्राम-मुहालखुर्द, तहसील-खिरकिया, जिला-हरदा के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

स. क्र.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	प्रस्तावित अर्जनीय (रकबा हे. में)	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उत्तमसिंह-देवीसिंह राज. नि. ग्रा. भू-स्वामी	77/2	1.490	0.242	सिंचित
2	शांताराम-रामा द्वारका पुत्री रामा, भूरी पुत्री रामा राज. सा. कुडावा भू-स्वामी.	78	4.030	0.242	सिंचित
3	आरती पत्नि आनंदसिंह राज. नि. ग्राम भू-स्वामी	80/1	2.173	0.295	सिंचित
4	सुनिताबाई पति नारायण सिंह नि. ग्राम भू-स्वामी	8/2	2.174	0.458	सिंचित
5	कमलसिंह-शिवकरन राज. सा. कुडावा भू-स्वामी	82/1	1.882	0.061	सिंचित
6	गुलाबसिंह-भीकाजी राज. सा. कुडावा भू-स्वामी	85/5	2.023	0.169	सिंचित
7	छतरसिंह-मोती नि. ग्राम भू-स्वामी	86/2 81	0.923 0.789 1.712	0.214 0.161 0.375	सिंचित
8	कमलेश कुमार-रेवाशंकर ब्राम्हण नि. मांदला भू-स्वामी	86/3	1.619	0.376	सिंचित
9	गीताबाई पत्नि कालूराम माहे. सा. कुडावा भू-स्वामी	88	6.909	0.902	सिंचित

3.120 हे.

- (1) उपरोक्त क्रय की जाने वाली कृषि भूमि संपूर्ण या उसके किसी हिस्सा भाग से किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय, व्यक्ति वित्तीय संस्था, बैंक, सोसायटी एवं अन्य किसी प्रकार का कोई हित, स्वत्व, संबंध या किसी प्रकार का कोई लेन-देन हो अथवा उक्त संपत्ति कहीं रहन, सम्यक, बंधक, दानमेहन में आदि हो तो वह इस सूचना पत्र प्रकाशन की 15 दिवस की अवधि में मय प्रमाण सहित दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें, समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व, या आपत्ति बंधनकारी नहीं होगी, अधोहस्ताक्षरकर्ता इस संपत्ति का विक्रय प्रतिफल राशि अदा कर विक्रय पत्र शासन पक्ष में पंजीयन करवाने के लिए स्वतंत्र होंगे.
- (2) भूमि का नक्शा प्लान एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर (भूमि अर्जन) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा. कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.Harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत बनोट, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

क्र. भू-अर्जन-2016-118.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा-11 की उपधारा-1 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा :—

अनुसूची (1)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	कालापिपल	ढाबला हुसैनपुर	2.670	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, शाजापुर.	अरनियाकलां से कालापिपल व्याहा अकोदी मार्ग निर्माण.

अनुसूची (2)

क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	पूरण पिता श्रीलाल मानूबाई बैवा श्रीलाल व अन्तरबाई, दीपाबाई पुत्रियां श्रीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम सिलोदा भूमि स्वामी.	147/1	-	-	1.254	0.380	-	0.380
2	सवाईसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम सिलोदा भूमि स्वामी.	124/1/4	-	-	0.290	0.102	-	0.102
3	पूरण पिता श्रीलाल मानूबाई बैवा श्रीलाल व अन्तरबाई, दीपाबाई पुत्रियां श्रीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम सिलोदा भूमि स्वामी.	120/2, 121, 122/3, 123/2	-	-	0.920	0.250	-	0.250
4	दयाराम पिता गोरेलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम सिलोदा भूमि स्वामी.	123/1 2 125/1	-	-	0.337	0.150	-	0.150
5	मधुकरराव, अशोकराव, रविन्द्रकुमार, दिलीवकुमार पिता मोतीराव, सुनीताबाई, सरलाबाई व कमलाबाई पुत्रियां मोतीराव जाति मराठा, नि. ग्राम सिलोदा, भूमिस्वामी.	99/1	-	-	0.209	0.730	-	0.730
6	मांगीलाल, रामप्रसाद पिता घीसीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम सिलोदा भूमि स्वामी.	86/1	-	-	1.160	0.021	-	0.021
7	मिश्रीलाल, श्रीलाल, दयाराम पिता गोरेलाल भंवरीबाई, बैवा गोरेलाल हि. 3/11 फुंदीलाल पिता जमुरसिंह हि, 4/11 व घीसीलाल, कंजीलाल, सवाईसिंह पिता खुशीलाल हि. 4/11 जाति गेहलोत, नि. ग्राम सिलोदा भूमिस्वामी.	113 114/4	-	-	0.763	0.175	-	0.175
8.	बनेसिंह, सीताराम पिता श्रीलाल व सरदार सिंह, शारदाबाई, बेवा देवीसिंह व पूनमचन्द्र पिता किशनलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम सिलोदा भूमिस्वामी.	155/1	-	-	1.463	0.205	-	0.205
9.	गोकुलबाई पति रामप्रसाद जाति नि. ग्राम हरिसिंह पिता राजाराम भवरबाई बैवा राजाराम जाति गेहलोत नि. ग्राम सिलोदा भूमिस्वामी.	104/1, 104/2	-	-	0.512	0.021	-	0.021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.	मांगीलाल पुत्र घीसीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम सिलोदा भूमिस्वामी.	94/2	-	-	0.815	0.100	-	0.100
11.	बल्देवसिंह पति रतनसिंह जाति पूरबियां राजपूत नि. ग्राम अकोदी भूमिस्वामी.	119/2	-	-	0.962	0.040	-	0.040
12.	बल्देवसिंह पति रतनसिंह जाति पूरबियां राजपूत नि. ग्राम अकोदी भूमिस्वामी	126	-	-	0.366	0.176	-	0.176
13	घीसीलाल पिता खुशीलाल जाति गेहलोत, नि. ग्राम भूमिस्वामी.	124/1/3	-	-	0.290	0.082	-	0.082
14	देवीसिंह पिता चन्द्रसिंह हि. 1/3 मांगूबाई पुत्री करणसिंह हि. 1/3 भेरूसिंह पुत्र सूरजसिंह हि. 1/3 जाति राजपूत नि. ग्राम सिलोदा भूमि स्वामी.	102	-	-	0.418	0.052	-	0.052
15	पूरणसिंह पिता श्रीलाल व मानूबाई बेवा श्रीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी	124/1/1	-	-	0.290	0.088	-	0.088
16	दयाराम पिता गोरेलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम.	124/1/2	-	-	0.290	0.088	-	0.088
योग :						<u>2.670</u>	-	<u>2.670</u>

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-119.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बतये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा-1 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा :—

अनुसूची (01)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	कालापीपल	निपानिया हिसामुद्दीन	6.046 निजी 8.277 शासकीय	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, शाजापुर.	अरनियाकलां से कालापीपल व्हाया अकोदी मार्ग निर्माण.

अनुसूची (02)

क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	नगीनसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	350/2/1, 352/2/1, 358/435, 358/5	-	-	0.507	0.121	-	0.121
2	अमरसिंह हरिनारायण पिता तेजसिंह हि. 1/2 व गोरधनसिंह पिता सूरजसिंह हि. 1/2 जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	492	-	-	0.439	0.030	-	0.030
3	लालसिंह, गीताप्रसाद, मोहनसिंह, पिता मांगीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	493/1	-	-	0.836	0.015	-	0.015
4	जगदीश पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	363/3/3, 363/4/3	-	-	0.474	0.245	-	0.245
5	जगदीश पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	364	-	-	1.285	0.150	-	0.150
6	दौलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	363/3/1, 363/4/1	-	-	0.473	0.245	-	0.245
7	करणसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	363/3/2, 363/4/2	-	-	0.474	0.245	-	0.245
8	मनोहरसिंह, शरदकुमार पिता रूगनाथसिंह जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	362	-	-	2.905	0.370	-	0.370
9	मनोहरसिंह, शरदकुमार पिता रूगनाथसिंह जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	366/1	-	-	0.188	0.053	-	0.053
10	समन्दरसिंह पिता कनीराम जाति राजपूत नि. अकोदी कृषक ग्राम निपानिया हिसामुद्दीन	495/1; 497/1	-	-	1.839	0.080 0.150	-	0.080 0.150
11	अमरसिंह पिता मन्दस्पसिंह नि. ग्राम भूमि स्वामी शा. नं.	479, 482	-	-	1.432	0.100	-	0.100
12	कुन्जीलाल पिता बालमुकुन्द नि. ग्राम भूमि स्वामी	481/1	-	-	0.982	0.021	-	0.021
13	कुन्जीलाल पिता बालमुकुन्द नि. ग्राम भूमि स्वामी.	494/1	-	-	0.397	0.210	-	0.210

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	मोहनलाल पिता बापूलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	494/2, 494/4, 495/2	-	-	1.087	0.150	-	0.150
15	हुकुमसिंह, विक्रमसिंह, बालिग एलमसिंह ना. बा. चन्द्रसिंह सर. पर. हुकुमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.	494/3 mn.1 503/2	-	-	0.470	0.100	-	0.100
16	अशोककुमार पिता रामचरण जाति गेहलोत नि. ग्राम अरनियांकला भूमि स्वामी.	153	-	-	1.724	0.050	-	0.050
17	कैलाश पिता रामचरण जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	154/2	-	-	1.306	0.060	-	0.060
18	आत्माराम पुत्र काशीराम हि. 1/2 व गजराजबाई विधवा जगन्नाथ, प्रहलादसिंह, केदारसिंह पिता जगन्नाथ हि. 1/2 जाति खाती नि. ग्राम अरनियांकला भूमि स्वामी.	144/1	-	-	0.065	0.050	-	0.050
19	आत्माराम पुत्र काशीराम हि. 1/2 व गजराजबाई विधवा जगन्नाथ, प्रहलादसिंह, केशरसिंह पिता जगन्नाथ हि. 1/2 जाति खाती नि. ग्राम अरनियांकला भूमि स्वामी.	144/2	-	-	1.076	0.050	-	0.050
20	किशोरसिंह पिता कन्हैयालाल जाति खाती नि. ग्राम अरनियांकला भूमि स्वामी.	143/1	-	-	1.881	0.090	-	0.090
21	आत्माराम पिता काशीराम हि. 1/2 व गजराजबाई विधवा जगन्नाथ व प्रहलादसिंह, केदारसिंह पिता जगन्नाथ हि. 1/2 जाति खाती नि. ग्राम अरनियांकला भूमि स्वामी.	143/2/2	-	-	0.795	0.070	-	0.070
22	विक्रमसिंह पिता धीसीलाल व रामकन्याबाई पति विक्रमसिंह जाति बलाई नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	155/2/1/1	-	-	0.647	0.070	-	0.070
23	किशन पिता उंकार जाति बलाई नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार.	155/2/1/4/1	-	-	1.039	0.070	-	0.070
24	बापूलाल पिता बालाजी व सोनीबाई पति बालाजी, जाति बलाई नि. ग्राम भूमिस्वामी.	233/2	-	-	0.647	0.080	-	0.080
25	मोड़सिंह पिता बट्टीलाल जाति खाती नि. ग्राम अरनियांकला भूमि स्वामी.	131/1	-	-	0.209	0.120	-	0.120

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	कुन्जीलाल पिता बालमुकुन्द नि. ग्राम भूमिस्वामी.	501/1	-	-	0.160	0.010	-	0.010
27	नारायण, मुरारी पिता सुखराम जाति खाती नि. ग्राम अरनियांकलां भूमि स्वामी.	149/3	-	-	2.299	0.050	-	0.050
28.	श्रीलाल पिता भेरूलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	483/2	-	-	0.449	0.209	-	0.209
29	अमरसिंह, हरिनारायण पिता तेजसिंह हि. 1/2 व गोरधनसिंह पिता सूरजमल हि. 1/2 जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	483/4	-	-	1.108	0.418	-	0.418
30	अमरसिंह, हरिनारायण पिता तेजसिंह हि. 1/2. व समभाग गोरधनसिंह पिता सूरजमल हि. 1/2 जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	350/1 351	-	-	0.418	0.235	-	0.235
31	शरदकुमार पिता रूगनाथ सिंह जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	395/2	-	-	0.052	0.052	-	0.052
32	रूगनाथसिंह, दुर्गाप्रसाद व जितेन्द्र पिता शंकरलाल व लीलाबाई बेवा शंकरलाल जाति गाडरी नि. ग्राम समभाग भूमि स्वामी.	234	-	-	1.097	0.010	-	0.010
33	तुलसीराम पिता घीसाजी जाति गाडरी नि. ग्राम समभाग भूमि स्वामी.	234/1	-	-	0.021	0.010	-	0.010
34	इन्दरसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	350/2/2, 352/2, 358/4, 358/5	-	-	0.508	0.121	-	0.121
35	मनोहरसिंह, शरदकुमार पिता रूगनाथसिंह जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	374	-	-	1.369	0.100	-	0.100
36	गोरधनसिंह पिता सूरजमल दोलीबाई बेवा सूरजमल व अमरसिंह, पिता तेजसिंह जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	376/2	-	-	0.209	0.038	-	0.038
37	मनोहरसिंह, शरदकुमार पिता रूगनाथसिंह जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	377, 378	-	-	1.087	0.040 0.060 0.100	-	0.040 0.060 0.100
38	गोरधनसिंह पिता सूरजमल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	376/1	-	-	0.596	0.346	-	0.346

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
39	करणसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	365	-	-	1.515	0.150	-	0.150
40	दौलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	366/2	-	-	0.836	0.052	-	0.052
41	गीताप्रसाद पिता हुकमचन्द्र जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	493/4, 493/5, 493/6	-	-	0.627	0.015	-	0.015
42	दौलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	366/3	-	-	0.836	0.052	-	0.052
43	दौलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	366/4	-	-	0.836	0.052	-	0.052
44	हिन्दुसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	350/2/3, 352/2, 358/4, 358/5	-	-	0.508	0.121	-	0.121
45	कमलसिंह पिता दौलतसिंह भगवतसिंह पिता करणसिंह मनोहरसिंह पिता जगदीश जाति गेहलोत भाग समान भूमि स्वामी.	360/4	-	-	0.209	0.209	-	0.209
46	सन्दीप चन्द्रशेखर पिता इन्दरसिंह जाति गेहलोत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	352/1, 352/5, 358/1/2/1	-	-	0.365	0.150	-	0.150
47	रम्भाबाई पति खुशीलाल गेहलोत भूमि स्वामी.	355/1/4	-	-	0.418	0.130	-	0.130
48	करणसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत भूमि स्वामी.	355/5	-	-	0.105	0.105	-	0.105
49	रेशमबाई पति अम्बाराम जाति खाती भूमि स्वामी	152/2 152/3	-	-	0.084 0.125	-	-	0.209
50	शंकरलाल पिता चतरसाल जाति गेहलोत भूमि स्वामी.	238	-	-	0.408	-	-	0.060
योग :						6.046	-	6.046

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-120.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा-1 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समझात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा :—

अनुसूची (01)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	कालापीपल	अकोदी	2.609 निजी 0.386 शासकीय	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, शाजापुर.	अरनियाकलां से कालापीपल व्हाया अकोदी मार्ग निर्माण.

अनुसूची (02)

क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	गोपालसिंह पिता भगवतसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम	282/1	-	-	-	0.105	-	0.105
2	हिन्दुसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम	282/3 276/5	-	-	-	0.021 0.150	-	0.021 0.150
3	गोपालसिंह पिता भगवतसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम	282/5	-	-	-	0.115	-	0.115
4	गोपालसिंह पिता भगवतसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम	276/3	-	-	-	0.073	-	0.073
5	चांदसिंह पिता भगवतसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम	266/2	-	-	-	0.021	-	0.021
6	उत्तमसिंह, माधोसिंह, समन्दरसिंह, बापूसिंह पिता कशीराम जाति राजपूत नि. ग्राम.	276/2	-	-	-	0.063	-	0.063

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	प्रकाशराव, दिलीपाराव, डॉ. विनोद कुमार, सुरेशराव, रमेशराव, संजयराव पिता भास्करराव जाति मराठा, नि. ग्राम	248/1, 249/1, 259/3/1, 268/1, 253/2	-	-	-	0.042 0.239	-	0.042 0.239
8	रामेश्वर पिता हुकमसिंह जाति गैहलोद नि. ग्राम	248/2, 249/2, 259/3/2, 268/2	-	-	-	0.105	-	0.105
9	जगन्नाथ पिता भवरजी हि. 1/4 कुन्जीलाल पिता गिरधारी हि. 1/4 हरिसिंह, राजाराम, भवरीबाई बैया राजाराम हि. 1/4 जाति भील नि. ग्राम.	280/2	-	-	-	0.100	-	0.100
10	हरिसिंह पिता राजाराम भवरबाई बैया राजाराम जाति भील नि. ग्राम.	277/4, 281/2	-	-	-	0.147	-	0.147
11	शिवनारायण पिता मुन्नालाल जाति भील नि. ग्राम.	277/1, 281/1	-	-	-	0.072	-	0.072
12	लीलाबाई पति नाथूसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.	265/1	-	-	-	0.157	-	0.157
13	नारायणसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.	261/1 262/2	-	-	-	0.188	-	0.188
14	लीलाबाई पति नाथूसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.	263	-	-	-	0.105	-	0.105
15	बवदेवसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम	260/2	-	-	-	0.209	-	0.209
16	मोरसिंह, जयसिंह पिता गंगाराम जाति गैहलोद, नि. ग्राम	256/2, 259/2	-	-	-	0.157	-	0.157
योग :						2.069	-	2.069

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-121.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा :-

अनुसूची (1)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	कालापीपल	सिलोदा	3.008 निजी 2.624 शासकीय	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, शाजापुर.	अरनियाकलॉ से कालापीपल व्याहा अकोदी मार्ग निर्माण.

अनुसूची (2)

क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	मोहन सिंह पिता केशरसिंह जाति गैहलोद नि. ग्राम.	4/1/5/2 3/1/5	-	-	0.418	0.063 0.052	-	0.063 0.052
2	सुभागसिंह पिता केशरसिंह जाति गैहलोद नि. ग्राम.	4/1/6/2 3/1/6	-	-	0.922	0.063 0.052	-	0.063 0.052
3	गजराजसिंह, नमीनसिंह पिता शिवनारायण, गंगाबाई बेवा शिवनारायण जाति गैहलोद नि. ग्राम.	3/1/7	-	-	1.045	0.052	-	0.052
4	एलकार पिता नन्नुसिंह जाति गैहलोद नि. ग्राम.	4/1/2	-	-	0.418	0.052	-	0.052
5	बालकृष्ण पिता शिवनारायण जाति कुल्मी नि. चाकरोद.	4/1/3	-	-	0.266	0.021	-	0.021
6	सियाराम पिता परवत सिंह जाति कुल्मी नि. चाकरोद.	4/1/4	-	-	0.105	0.021	-	0.021
7	मनोहर पिता नन्नूलाल जाति गैहलोद नि. ग्राम.	5/2 6/3	-	-	0.266	0.021 0.053	-	0.021 0.053

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	लखनसिंह पिता नन्नूलाल जाति गैहलोत नि. ग्राम.	5/3	-	-	0.169	0.021	-	0.021
9	इन्दरबाई बेवा नन्नूलाल जाति गैहलोत नि. ग्राम.	5/4	-	-	0.192	0.021	-	0.021
10	बाबूलाल, मनोहर पिता नन्नूसिंह जाति गैहलोत नि. ग्राम.	21	-	-	0.335	0.147	-	0.147
11	रामचरण, रूपसिंह पिता नरसिंह व हरनाथसिंह पिता हनुमतसिंह नाबासर पा. मातास्थल पार्वतीबाई बेवा हनुमतसिंह जाति गैहलोत नि. रोसी वना 17 भूमि स्वामी.	19, 17/2	-	-	0.303	0.021 0.005	-	0.021 0.005
12	वन्दना चौहान पति मेहताबसिंह जाति राजपूत नि. भोपाल.	24/1 22	-	-	0.920 0.261	0.073 0.005	-	0.073 0.005
13	बताथबाई पति छीतूसिंह जाति गैहलोत नि. मोहम्मदखेड़ा	24/2	-	-	0.083	0.083	-	0.083
14	बनेसिंह पिता फून्दीलाल जाति गैहलोत नि. ग्राम वन 11/2	27	-	-	0.376	0.105	-	0.105
15	जगदिश पिता बिहारीलाल जाति गैहलोत नि. ग्राम वन 12/1	25/1 26/1	-	-	0.011 0.146	0.011 0.031	-	0.011 0.031
16	बनेसिंह, सीताराम पिता श्रीलाल व सरदारसिंह, राजेशसिंह पिता देवीसिंह शारदाबाई बेवा देवीसिंह व पूनमचन्द्र पिता किशनलाल जाति गैहलोत नि. ग्राम वन 12/2 भूमि स्वामी.	25/2 26/2	-	-	0.010 0.157	0.010 0.031	-	0.010 0.031
17	नारायणसिंह पिता नन्नूलाल जाति गैहलोत नि. ग्राम वन 5/1 भूमि स्वामी	47/2 5/1/2 6/2/2	-	-	0.136	0.031 0.021 0.053	-	0.031 0.021 0.053
18	राजेश कुमार पिता कैलाश नारायण सिंह जाति गैहलोद नि. ग्राम	48	-	-	0.596	0.105	-	0.105
19	देवीसिंह पिता हजारीलाल जाति गैहलोत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51 50 29/1	-	-	0.261 0.930 0.397	0.073 0.123 0.073	-	0.073 0.123 0.073
20	बाबूलाल पिता नन्नूलाल जाति गैहलोत नि. ग्राम वन 3/2.	47/1 6/1/2	-	-	0.136	0.031 0.053	-	0.031 0.053

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	भगवतीबाई पुत्री भेरूसिंह हि. 1/3 जसोदाबाई बैवा खुशीलाल, प्रेमानारायण नाबा. कैलाशनारायण नाबा पुत्र खुशीलाल समभाग भूमि स्वामी हि. 1/3 सर. पर. माता स्वमं जाति लुहार नि. ग्राम.	54	-	-	0.188	0.123	-	0.123
22	घीसीलाल, रमेशचन्द्र पिता हीरालाल जाति लुहार नि. ग्राम.	56/1	-	-	0.079	0.011	-	0.011
23	श्यामलाल, सुमेरसिंह, करणसिंह पिता बिहारीलाल व गोदावहीबाई विधवा बिहारीलाल जाति गैहलोत नि. ग्राम वन 137.	155/3/2	-	-	0.146	0.052	-	0.052
24	फरीदा बी पति मोहम्मद बशीरशेख जाति मुसलमान.	52/1	-	-	1.881	0.042	-	0.042
25	फिरोजशेख पिता मोहम्मद बशीरशेख जाति मुसलमान बन. 3/1/8.	52/2	-	-	0.209	0.042	-	0.042
26	अमरसिंह, राजेन्द्रसिंह, जगदीश पिता टीकाराम जाति गैहलोद, नि. ग्राम.	171/4	-	-	0.387	0.043	-	0.043
27	घीसीलाल पिता बक्षीलाल जाति गैहलोद, नि. ग्राम बन. 148/1.	155/1	-	-	0.334	0.052	-	0.052
28	रामसिंह, रमेशचन्द्र पिता बंशीलाल जाति गैहलोद, नि. ग्राम बन. 5/5.	155/2 5/5/1	-	-	0.094 0.993	0.052 0.021	-	0.052 0.021
29	धनसिंह पिता गणपतसिंह जाति गैहलोद, नि. ग्राम.	156/2	-	-	0.418	0.063	-	0.063
30	मंगलसिंह पिता घीसीलाल जाति गैहलोद, नि. ग्राम.	171/1	-	-	0.342	0.053	-	0.053
31	प्रेमसिंह पिता घीसूसिंह जाति गैहलोद, नि. ग्राम.	171/2	-	-	0.341	0.043	-	0.043
32	गोरधनसिंह पिता घीसूसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम बन. 167/2	171/3	-	-	0.341	0.043	-	0.043
33	नधूबाई पुत्री जगन्नाथसिंह जाति गैहलोत नि. ग्राम.	196/1 210	-	-	0.674 1.808	0.021 0.073	-	0.021 0.073
34	ललताबाई पिता सुखराम जाति भंवरजी	196/2	-	-	0.674	0.011	-	0.011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	सोहनलाल व रामचरण, केशरसिंह पिता भंवरजी व जूगीबाई बैवा भंवरजी जाति गैहलोत नि. ग्राम.	188/2	-	-	0.146	0.053	-	0.053
36	जसमतसिंह, नारायणसिंह पिता जगन्नाथसिंह, सुखियाबाई बैवा जगन्नाथसिंह, जाति गैहलोत नि. ग्राम बन. 14 भूमि स्वामी.	193/1 194/1 189/1 188/1/1	-	-	1.056	0.021 0.021 0.063 0.053	-	0.021 0.021 0.063 0.053
37	बनेसिंह पिता सेवाराम जाति गैहलोत नि. ग्राम बन. 188/1/2	193/2 194/2 189/2 188/1/2/2	-	-	0.308 0.021 0.648	0.011 0.011 0.063 0.053	-	0.011 0.011 0.063 0.053
38	घोसीलाल पिता जगन्नाथ जाति लूहार नि. ग्राम	172	-	-	1.275	0.073	-	0.073
39	रामबाबू पिता देवीसिंह आदि जाति गैहलोत नि. ग्राम	217/6	-	-	0.470	0.011	-	0.011
40	सोहनलाल पिता भवरलाल जाति गैहलोत नि. ग्राम	217/7	-	-	0.219	0.011	-	0.011
41	मानसिंह पिता उमरावसिंह जाति गैहलोत नि. ग्राम	217/8	-	-	0.031	0.011	-	0.0011
42	सिद्धीबाई सोरमबाई, पुत्रियां बलवंतसिंह हि. 1/8 व घनश्याम, मनोहर पिता मन्दसपसिंह हि, 1/16 जाति गैहलोत नि. ग्राम व रतनबाई बैवा करणसिंह हि. 1/8 जाति राजपूत व बिहारीलाल सिलोदा उमरावबाई बैवा देवा हि. 1/8 व मानसिंह मिश्रीलाल पिता उमरावसिंह हि. रकबा 0.037 व नारायणसिंह माखनसिंह देवीसिंह पिता गोरीलाल रकबा 0.199 हि. 1/9 जाति गैहलोता नि. ग्राम.	217 575/1 217, 575/2/2, 217 575/3/1	-	-	0.972	0.261	-	0.261
योग :						3.037	-	3.037

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-122.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा-1 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा :-

अनुसूची (1)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	कालापीपल	अरनियाकलॉ	4.776 निजी 4.369 शासकीय	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, शाजापुर.	अरनियाकलॉ से कालापीपल व्हाया अकोदी मार्ग निर्माण.

अनुसूची (2)

क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	अर्जुनसिंह पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि. ग्राम	1033/3	-	-	0.174	0.032	-	0.032
2	अर्जुनसिंह पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि. ग्राम	1115/3	-	-	0.283	0.018	-	0.018
3	अर्जुनसिंह पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि. ग्राम	1123/4	-	-	0.012	0.004	-	0.004
4	अर्जुनसिंह पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि. ग्राम	1124/3	-	-	0.056	0.031	-	0.031
5	अर्जुनसिंह पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि. ग्राम	194/4	-	-	0.092	0.011	-	0.011
6	अर्जुनसिंह पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि. ग्राम	195/4	-	-	0.274	0.011	-	0.011
7	अनिलकुमार पिता बाबूलाल जाति खाती नि. ग्राम	209/1/2	-	-	1.094	0.021	-	0.021
8	अशोककुमार पिता अनोखीलाल जाति खाती नि. ग्राम.	209/1/1/2	-	-	0.543	0.021	-	0.021
9	अनोखीलाल पिता रणजीत सिंह जाति खाती नि. ग्राम.	367/2/1	-	-		0.076	-	0.076
10	अनोखीलाल पिता रणजीत सिंह जाति खाती नि. ग्राम.	1101	-	-	0.481	0.094	-	0.094
11	अशोक कुमार, मनोजकुमार पिता नन्तूलाल जाति खाती नि. ग्राम.	195/2	-	-	1.672	0.261	-	0.261

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	आनन्दीलाल पिता कोदरमल जाति खाती नि. ग्राम.	1069	-	-	0.136	0.021	-	0.021
13	आनन्दीलाल पिता हीरालाल जाति खाती नि. ग्राम.	224/1	-	-	0.222	0.021	-	0.021
14	आनन्दीलाल पिता हीरालाल जाति खाती नि. ग्राम.	227/4	-	-	0.057	0.011	-	0.011
15	आनन्दीलाल प्रेमसिंह, बाबुलाल, विष्णुचरण पु. दरयाव, राजलबाई वि. दरयाव गीताबाई पु. दरयाब गोकलबाई वि. नन्नूलाल सुलोचनाबाई पु. नन्नूलाल सुनीताबाई अनीताबाई मोहनलाल मांगीलाल विक्रमसिंह हनिनारायण पिता रामबक्ष शिवनारायण महेशकुमार दिनेश कुमार पिता देवीप्रसाद कुंतीबाई वि. देवीप्रसाद कमलाबाई लीलाबाई मुन्नीबाई शिप्राबाई पु. देवीप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम.	197	-	-	1.453	0.052	-	0.052
16	आनन्दीलाल प्रेमसिंह, बाबुलाल, विष्णुचरण पु. दरयाव, राजलबाई वि. दरयाव गीताबाई पु. दरयाब गोकलबाई वि. नन्नूलाल सुलोचनाबाई पु. नन्नूलाल अनीताबाई मोहनलाल मांगीलाल विक्रमसिंह हरिनारायण पिता रामबक्ष शिवनारायण महेशकुमार दिनेश कुमार पिता देवीप्रसाद कुंतीबाई वि. देवीप्रसाद कमलाबाई लीलाबाई मुन्नीबाई शिप्राबाई पु. देवीप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम.	200	-	-	0.753	0.031	-	0.031
17	आनन्दीलाल प्रेमसिंह, बाबुलाल, विष्णुचरण पु. दरयाव, राजलबाई वि. दरयाव गीताबाई पु. दरयाब गोकलबाई वि. नन्नूलाल सुलोचनाबाई पु. नन्नूलाल सुनीताबाई अनीताबाई पिता मोहनलाल मांगीलाल विक्रमसिंह हरिनारायण पिता रामबक्ष शिवनारायण महेशकुमार दिनेश कुमार पिता देवीप्रसाद कुंतीबाई वि. देवीप्रसाद कमलाबाई लीलाबाई मुन्नीबाई शिप्राबाई पु. देवीप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम.	201	-	-	0.961	0.052	-	0.052
18	इन्दरबाई पिता भगवतसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	195/6	-	-	1.045	0.261	-	0.261
19	ईश्वरसिंह पिता रणजीतसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	367/3	-	-	0.899	0.076	-	0.076
20	कमलसिंह पिता आनन्दीलाल जाति खाती नि. ग्राम.	194/3	-	-	0.185	0.060	-	0.060

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	कमलसिंह पिता आनन्दीलाल जाति खाती नि. ग्राम.	195/3	-	-	0.547	0.073	-	0.073
22	कमलसिंह पिता आनन्दीलाल जाति खाती नि. ग्राम.	1029	-	-	0.251	0.063	-	0.063
23	कमलसिंह पिता आनन्दीलाल जाति खाती नि. ग्राम.	1115/2	-	-	0.568	0.037	-	0.037
24	कमलसिंह पिता आनन्दीलाल जाति खाती नि. ग्राम.	1123/3	-	-	0.024	0.008	-	0.008
25	कमलसिंह पिता कन्हैयालाल जाति खाती नि. ग्राम.	194/2/6/2	-	-	0.185	0.047	-	0.047
26	कमलसिंह पिता कन्हैयालाल जाति खाती नि. ग्राम.	367/1/2	-	-	0.449	0.039	-	0.039
27	कमलसिंह पिता कन्हैयालाल जाति खाती नि. ग्राम.	369/2/2/2	-	-	0.282	0.177	-	0.177
28	केलाशनारायण पिता गंगाधर जाति खाती नि. ग्राम.	221/2	-	-	0.478	0.052	-	0.052
29	कृष्णाबाई पिता देवीप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम.	364/11	-	-	1.630	0.084	-	0.084
30	कृष्णाबाई पिता देवीप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम.	232/2	-	-	0.836	0.084	-	0.084
31	महेशकुमार पिता गोपालसिंह सोरमदेवी बेवा गोपालसिंह, राजाराम, कमोदसिंह पिता जगन्नाथ 4.240 स भा कचरुलाल पिता रामप्रसाद मिशरबाई बेवा रामप्रसाद मोतीलाल, धुलजी पिता नाथू कमलाबाई राजूबाई, पु. नाथू 5.258 सभा जाति खाती नि. ग्राम.	1034/1	-	-	0.648	0.063	-	0.063
32	महेशकुमार पिता गोपालसिंह सोरमदेवी बेवा गोपालसिंह, राजाराम, कमोदसिंह पिता जगन्नाथ 4.240 स भा कचरुलाल पिता रामप्रसाद मिशरबाई बेवा रामप्रसाद मोतीलाल, धुलजी पिता नाथूलाल कमलाबाई राजूबाई, पु. नाथू 5.258 सभा जाति खाती नि. ग्राम.	1034/2	-	-	0.432	0.063	-	0.063
33	गीताबाई पिता कन्हैयालाल जाति खाती नि. ग्राम.	1122	-	-	0.585	0.078	-	0.078
34	गोविन्दसिंह पिता गोपालसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	188/1	-	-	0.073	0.005	-	0.005
35	गोविन्दसिंह पिता गोपालसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	1093/1	-	-	0.235	0.010	-	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	गंगाबाई बेवा घीसीलाल, धरमसिंह, प्रेमसिंह, रमेशचन्द्र पिता घीसीलाल 1/3 बंशीलाल हजारीलाल पिता विजयसिंह 2/3 जाति खाती नि. ग्राम भूमि स्वामी.	196/1	-	-	2.508	0.209	-	0.209
37	घीसीलाल, हेमराज, रमेश पिता दयाराम जाति खाती नि. ग्राम.	1075/1	-	-	0.146	0.021	-	0.021
38	जगन्नाथ पिता हीरालाल जाति खाती नि. ग्राम.	227/1/2	-	-	0.057	0.011	-	0.011
39	जगन्नाथ पिता हीरालाल जाति खाती नि. ग्राम.	224/4	-	-	0.223	0.021	-	0.021
40	जगन्नाथ पु. भवानीसिंह 1/4 प्रेमसिंह पु. जगन्नाथ 1/4 ताराबाई बेवा भारत 1/4 विक्रमसिंह, हेमराज, आत्माराम पिता भागीरथ हरकूबाई बेवा भागीरथ राजूबाई पिता भागीरथ जाति खाती नि. ग्राम.	214/2	-	-	0.888	0.042	-	0.042
41	जगन्नाथ पु. भवानी, प्रेमसिंह पु. जगन्नाथ जाति खाती नि. ग्राम.	214/1	-	-	0.846	0.042	-	0.042
42	जगदीश प्रसाद रामेश्वर पिता धुलजी जाति खाती नि. ग्राम.	185	-	-	0.094	0.036	-	0.036
43	जितेन्द्र पिता भगवतसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	232/6	-	-	0.366	0.021	-	0.021
44	देवकरण, प्रेमसिंह पिता नरबतसिंह गीताबाई वि. नरबतसिंह.	217/1	-	-	0.167	0.125	-	0.125
45	देवकरण, प्रेमसिंह पिता नरबतसिंह गीताबाई वि. नरबतसिंह.	224/5	-	-	0.221	0.021	-	0.021
46	देवकरण, प्रेमसिंह पिता नरबतसिंह गीताबाई वि. नरबतसिंह.	227/1/1	-	-	0.057	0.011	-	0.011
47	धुलुनाथ पिता देवनाथ, हीराबाई पति धुलुनाथ मोतीनाथ पिता धुलुनाथ, श्यामाबाई पति मोतीनाथ जाति कालबेलिया नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार शासन.	213/2	-	-	0.482	0.021	-	0.021
48	धरमसिंह पिता गंगाधर जाति खाती नि. ग्राम.	221/1	-	-	0.478	0.052	-	0.052
49	धर्मेन्द्र पु. बालमकुन्द जगदीश पिता मोहनलाल, गोपाल पु. मदन ना बा सरपरस्त पिता स्वयंहि 1/2 गोविन्द गंगाधर, गिरधारी पिता तुलसीराम हि. 3/12 जाति खाती नि. ग्राम.	230/3	-	-	0.813	0.011	-	0.011
50	पंकज पिता कैलाशनारायण जाति खाती नि. ग्राम.	209/2/2/2	-	-	0.548	0.011	-	0.011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	प्रेमनारायण पु. गिरधारी जाति खाती नि. ग्राम भूमिस्वामी.	1081	-	-	0.209	0.021	-	0.021
52	प्रेमनारायण पु. गिरधारी जाति खाती नि. ग्राम भूमिस्वामी.	1080	-	-	0.606	0.026	-	0.026
53	प्रेमनारायण पिता गंगाधर जाति खाती नि. ग्राम.	221/3	-	-	0.477	0.052	-	0.052
54	बाबुलाल पिता हीरालाल जाति खाती नि. ग्राम.	227/5	-	-	0.058	0.011	-	0.011
55	बाबुलाल पिता हीरालाल जाति खाती नि. ग्राम.	224/3	-	-	0.221	0.021	-	0.021
56	बद्री प्रसाद पिता रामनारायण जाति खाती नि. ग्राम.	209/2/1	-	-	1.094	0.021	-	0.021
57	बापूनाथ पिता गिरवरनाथ, सीताबाई पति गिरवरनाथ, मैनाबाई पति शंकरनाथ, बालुनाथ पिता कालुनाथ कमलाबाई पति शंकरनाथ जाति कालबेलिया नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार शासन बंटित भूमि.	216/1	-	-	0.500	0.021	-	0.021
58	मुरारीलाल, रमेशचन्द्र, किशोर पिता रामचरण जाति खाती नि. ग्राम.	1098	-	-	0.679	0.012	-	0.012
59	मनोजकुमार पिता केलाशनारायण जाति खाती नि. ग्राम.	209/2/2/1	-	-	0.547	0.011	-	0.011
60	मांगीलाल पिता रामबक्ष जाति खाती नि. ग्राम.	207	-	-	0.920	0.021	-	0.021
61	मांगीलाल पिता रामबक्ष जाति खाती नि. ग्राम.	224/2	-	-	0.221	0.021	-	0.021
62	मंगलेशकुमार पिता अनोपसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	1115/1/2	-	-	0.284	0.019	-	0.019
63	मंगलेशकुमार पिता अनोपसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	1028/3/2	-	-	0.299	0.062	-	0.062
64	राजेन्द्र कुमार पिता अनोखीलाल जाति खाती नि. ग्राम.	209/1/1/1	-	-	0.544	0.011	-	0.011
65	रमेशचन्द्र पिता जगन्नाथ जाति खाती नि. ग्राम.	187/2	-	-	0.115	0.042	-	0.042
66	रमेशचन्द्र पिता जगन्नाथ जाति खाती नि. ग्राम.	1093/2	-	-	0.235	0.026	-	0.026
67	लक्ष्मीनारायण पिता रणछोड़सिंह हि. 1/4 प्रेमनारायण द. पु. भागीरथ हि. 1/4 जमनाप्रसाद, भवानीसिंह, प्रेमसिंह पु. गिरधारी, बिन्दाबाई, राजूबाई, सोरमबाई पु. गिरधारी रामचरण पु. नाना हि. 1/2 जाति खाती नि. ग्राम.	1070	-	-	0.167	0.021	-	0.021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
68	विजयसिंह, मोडसिंह, बाबुलाल पिता बक्षी जाति खाती नि. ग्राम.	227/2	-	-	0.178	0.021	-	0.021
69	विजयसिंह, मोडसिंह, बाबुलाल पिता बक्षी जाति खाती नि. ग्राम.	226	-	-	1.264	0.126	-	0.126
70	विनोदकुमार पिता अनोपसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	1115/1/1	-	-	0.284	0.018	-	0.018
71	विनोदकुमार पिता अनोपसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	1028/3/1	-	-	0.300	0.063	-	0.063
72	सुनीलकुमार पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	194/5	-	-	0.092	0.057	-	0.057
73	सुनीलकुमार पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	195/5	-	-	0.274	0.037	-	0.037
74	सुनीलकुमार पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	1124/4	-	-	0.056	0.031	-	0.031
75	सुनीलकुमार पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	1123/5	-	-	0.013	0.004	-	0.004
76	सुनीलकुमार पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	1115/4	-	-	0.284	0.019	-	0.019
77	सुनीलकुमार पिता प्रेमसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	1133/4	-	-	0.175	0.033	-	0.033
78	सुरेशचन्द्र पिता कन्हैयालाल जाति खाती नि. ग्राम.	367/1/1	-	-	0.449	0.039	-	0.039
79	सुरेशचन्द्र पिता कन्हैयालाल जाति खाती नि. ग्राम.	369/2/2/1	-	-	0.283	0.178	-	0.178
80	मांगीलाल पिता हीरालाल जाति खाती नि. ग्राम.	227/3	-	-	0.058	0.011	-	0.011
81	सुमनबाई वि. अनोपसिंह, शुष्माबाई पिता अनोपसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	194/1	-	-	0.185	0.046	-	0.046
82	सुमनबाई वि. अनोपसिंह, शुष्माबाई पिता अनोपसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	196/2/1	-	-	1.602	0.110	-	0.110
83	सोरमबाई पति बाबूलाल जाति खाती नि. ग्राम.	230/2	-	-	1.397	0.011	-	0.011
84	समरथबाई पति नन्नुलाल जाति खाती नि. ग्राम.	365	-	-	0.533	0.272	-	0.272
85	हेमराज पु. बल्देवसिंह छीतीबाई पुत्री बलदेव सिंह, जाति खाती नि. ग्राम.	1075/2	-	-	0.251	0.021	-	0.021
86	हेमराज पु. बल्देवसिंह छीतीबाई पुत्री बल्देवसिंह जाति खाती नि. ग्राम.	1076/1	-	-	0.115	0.024	-	0.024
87	श्यामूबाई पति बाबुलाल जाति खाती नि. ग्राम.	232/3/2	-	-	0.367	0.031	-	0.031

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
88	सुन्दरबाई पु. नरबतसिंह हि 1/6 दिलीपसिंह घासीराम पिता जगन्नाथ रणजीत अनोखीलाल प्रेमसिंह बाबुलाल विष्णुचरण पु. दरयाव राजलबाई वि. दरयाव गीताबाई पिता दरयाव गोकलबाई सुलोचनाबाई अनीताबाई पु. नन्लाल सुनीताबाई पु. मोहनलाल मांगीलाल विक्रमसिंह हरिनारायण पिता रामबक्ष शिवनारायण महेश दिनेश पिता देवीप्रसाद कुंतीबाई वि. देवीप्रसाद कमलाबाई, लीलाबाई, फुन्दीबाई, शिप्राबाई पु. देवीप्रसाद अनारीबाई पिता गणपत कैलाश हरिओम महेश पिता भंवरलाल ललताबाई वि. भंवरलाल प्रहलाद राधेश्याम पिता राजाराम रेशमबाई वि. राजाराम जयराम पिता गंगाधर अनोखीलाल हरिचरण पिता माखनलाल हि 1/4 प्रेमनारायण द पु भागीरथ जमनाप्रसाद भवानीसिंह पिता गिरधारी बिन्दाबाई राजुबाई सौरमबाई पु. गिरधारी रामचरण पिता नाना हि 2/3 लक्ष्मी नारायण पिता रणछोड हि. 2/32 मीराबाई पति दयाराम हेमराज पिता बलदेव छीतीबाई पु बल्देव हि 1/8 विजयसिंह पिता तुलसीराम हि 124 आनन्दीलाल पु दयाराम श्यामलताबाई वि. बाबूलाल प्रेमनारायण विष्णुप्रसाद पु दयाराम घोसीलाल हेमराज रमेश पिता दयाराम जाति खाती नि. ग्राम.	231	-	-	0.366	0.078	-	0.078
89	सुन्दरबाई पु. नरबतसिंह हि 1/8 नन्लाल पु. भागीरथ हि 7/12 जगन्नाथ पु. गणपत आनन्दीलाल प्रेमसिंह प्रेमसिंह, बाबुलाल विष्णुचरण पु. दरयाव राजलबाई वि. दरयाव गीताबाई पु. दरयाव गोकलबाई वि नन्लाल सुलोचनाबाई पु. नन्लाल सुनीताबाई, अनीताबाई पु. मोहनलाल मांगीलाल विक्रमसिंह हरिनारायण पिता रामबक्ष शिवनारायण महेश दिनेश पिता देवीप्रसाद कुंतीबाई वि. देवीप्रसाद कमलाबाई, लीलाबाई, फुन्दीबाई, शिप्राबाई पिता देवीप्रसाद अनारीबाई पु. गणपत कैलाश हरिओम महेश पिता भंवरलाल ललताबाई वि. भंवरलाल प्रहलाद राधेश्याम पिता राजाराम रेशमबाई वि. राजाराम जयरामसिंह पिता गंगाधर अनोखीलाल हरिचरण पिता माखनसिंह हि 1/64 स भा लक्ष्मीनारायण पु. रणछोड प्रेमनारायण द पु भागीरथ जमनाप्रसाद भवानीसिंह पु. गिरधारी रामचरण पु. नान हि 1/16 हेमराज पु. बल्देवसिंह हि 1/16 स भा सम्पतबाई बेवा गोपालसिंह राकेश पिता गोपालसिंह सुनीताबाई अनीताबाई रेखाबाई पिता गोपालसिंह श्री किशन बाबूलाल पिता पन्नालाल सीताराम पिता नरबत बीजा पिता खुबा अनोखीलाल पु. बिन्दा खबुबाई वि कोदी भागीरथ पिता गणपत माखन पिता हमीर अंबाराम रामसिंह सिंगाराम पिता गोरधन रामप्यारी वि. गोरधन हि	232/1	-	-	3.145	0.084	-	0.084

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1/16 स भा विजयसिंह पिता तुलसीराम हि 1/16 घीसीलाल हेमराज रमेश पु. दरयाव गोकलबाई वि. नन्नूलाल सुलोचनाबाई पु. नन्नूलाल सम्पतबाई मोहनलाल सुनीताबाई अनीताबाई पु. मोहनलाल आनन्दीलाल पु. दरयाव श्यामतलाबाई वि. बाबुलाल सुनील अनील पु. बाबूलाल प्रेमनारायण विष्णुप्रसाद पु दयाराम जाति खाती नि. ग्राम आदि नि. ग्राम							
90	सुन्दरबाई पु. नरबतसिंह हि 1/6 दिलीपसिंह 1077 घासीराम पिता जगन्नाथ आनन्दीलाल प्रेमसिंह बाबुलाल विष्णुचरण पु. दरयाव राजलबाई वि. दरयाव गीताबाई पु. दरयाव गोकलबाई वि. नन्नूलाल सुलोचनाबाई अनीताबाई पु. नन्नूलाल सुनीताबाई पु. मोहनलाल मांगीलाल विक्रमसिंह हरिनारायण पिता रामबक्ष देवी पु. गणपत अनारीबाई अन्तरबाई पुत्रियां गणपत गंगाधर पिता बोंदा अनोखीलाल हरिचरण पिता माखनसिंह हि 1/4 प्रेमनारायण द. पु. जमनाप्रसाद भवानीसिंह पु गिरधारी बिंदाबाई राजुबाई सोरमबाई पु. गिरधारी रामचरण पु नाना हि 2/3 लक्ष्मीनारायण पु. रणछोड़ हि 2/32 मीरबाई पति दयाराम हेमराज पु. बलदेव छीतीबाई पु. बलदेव हि 1/8 विजयसिंह पिता तुलसीराम हि 1/4 गोकलबाई वि. नन्नूलाल आनन्दीलाल पु दयाराम श्यामलताबाई वि. बाबूलाल सुनील अनील पु. बाबुलाल प्रेमनारायण विष्णुप्रसाद पु. दरियाव घीसीलाल हेमराज रमेश पु. दयाराम जाति खाती नि. ग्राम.				0.052	0.006		0.006
91	सम्पतबाई बेवा गोपालसिंह राकेश पिता 364/13 गोपालसिंह, सुनीताबाई, अनीताबाई, रेखाबाई पिता गोपालसिंह श्री किशन बाबूलाल पिता पन्नालाल सीताराम पिता नरबत हि 1/6 नन्नूलाल भगवती कंचनबाई पु. भागीरथ 1/6 देवीप्रसाद पिता भागीरथ हि 1/6 राधाकिशन पिता विजयसिंह घीसीलाल पिता विजयसिंह पारवतीबाई पु. विजयसिंह हि 1/24 आनन्दीलाल पिता कोदा 1/19 बाबूलाल धरमसिंह कुन्ताबाई मानकुंवरबाई बेवा गोरधनसिंह रामसिंह सिंगाराम पिता गोरधनसिंह कमलाबाई बेवा अम्बाराम धमेन्द्र जितेन्द्र ना बा पिता अम्बाराम सरपरस्त माता कमलाबाई हि 1/4 नन्नूलाल पिता भागीरथ हि रकबा 0.209 हे. जाति खाती नि. ग्राम.				2.466	0.324		0.324
92	राधाकिशन पुत्र गणपत हि. 1/2 घीसा बीजा 1067 पुत्र पारवती हि. 1/2 जाति खाती नि. ग्राम.				0.178	0.010		0.010
					योग :	4.776		4.776

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-123.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा :—

अनुसूची (1)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	कालापिपल	अलीसीरिया	3.303 निजी	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, शाजापुर.	अरनियाकलां से कोठडीकलां मार्ग निर्माण.

अनुसूची (2)

क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बाबूलाल पिता ऊंकारलाल जाति ब्राम्हण नि. ग्रा. अरनियाकलां भूमि स्वामी.	691/1	-	-	0.732	0.050	-	0.050
2	शिवनारायण पिता गोरधनलाल ब्राम्हण नि. ग्रा. अरनियाकलां भूमि स्वामी.	690/1	-	-	0.397	0.198	-	0.198
3	बाबूलाल पिता ऊंकारलाल जाति ब्राम्हण नि. ग्रा. अरनियाकलां भूमि स्वामी.	690/2	-	-	0.397	0.198	-	0.198
4	कन्हैलाल भेरूलाल जगन्नाथ बाबूलाल पुत्रगण रामरतन धापूबाई बेवा रामरतन लीलाबाई पुत्री रामरतन जाति कुम्हार नि. ग्रा. समभाग भूमि स्वामी.	1162	-	-	1.118	0.150	-	0.150
5	पुनमचन्द्र पिता नन्दराम जाति खाती नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	1156	-	-	1.400	0.097	-	0.097
6	रामचन्द्र अरविन्द पुत्र लालजीराम जाति खाती भूमि स्वामी.	1157/2	-	-	0.147	0.090	-	0.090
7	देवबाई पति भीकूलाल जाति ब्राम्हण नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	1155/6	-	-	0.438	0.438	-	0.438
8	भीकूलाल पुत्र आशाराम जाति ब्राम्हण नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	1146/1	-	-	0.209	0.109	-	0.109

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	दुर्गाप्रसाद लीलाधर पुत्र नारायण प्रसाद जाति ब्राम्हण नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	1146/2	-	-	0.543	0.209	-	0.209
10	भीकूलाल पुत्र आशाराम जाति ब्राम्हण नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	1147	-	-	0.094	0.051	-	0.051
11	गंगाधर पुत्र विजयसिंह जाति खाती नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	1155/1	-	-	0.188	0.011	-	0.011
12	कमोदसिंह पुत्र विजयसिंह जाति खाती नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	1155/3	-	-	0.105	0.010	-	0.010
13	बद्रीलाल जगन्नाथ भेरूलाल पुत्र हजारीलाल जाति खाती नि. ग्राम भूमि स्वामी.	1155/4	-	-	0.199	0.010	-	0.010
14	नाथूसिंह पुत्र सैतानसिंह हि. 45 पैसे बसन्तीबाई बेवा नारायणसिंह हि. 25 पैसे राजेन्द्रसिंह सुरेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह हि. 30 पैसे जाति राजपूत नि. ग्राम. भूमि स्वामी.	1161/4	-	-	0.118	0.118	-	0.118
15	नर्बदाबाई पति गोपालसिंह जाति खाती नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	1161/5	-	-	0.157	0.050	-	0.050
16	सौरमबाई पति भगवानसिंह जाति खाती नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	1161/6	-	-	0.209	0.100	-	0.100
17	भगवानसिंह नन्दकिशोर पिता मूलसिंह जाति खाती नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	1161/2	-	-	0.627	0.568	-	0.568
18	भगवानसिंह गुलाबसिंह हुकुमसिंह पिता जसवंत जाति राजपूत नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	1150/1	-	-	0.973	0.260	-	0.260
19	प्रेमनारायण दुलेसिंह राजेन्द्रसिंह पु. गंगाधर जाति खाती नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	1150/2	-	-	0.480	0.105	-	0.105
20	माफी श्रीलाल मातामंदिर वाके देवराजा व्यवस्थापक श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला शाजापुर म. प्र.	1148	-	-	0.376	0.151	-	0.151
21	कन्हैलाल भेरूलाल जगन्नाथ बाबूलाल पुत्रगण रामरतन धापूबाई बेवा रामरतन लीलाबाई पुत्री रामरतन जाति कुम्हार नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	1160	-	-	0.564	0.230	-	0.230
22	बसन्तीबाई बेवा नारायण सिंह जाति राजपूत नि. ग्रा. भूमि स्वामी.	1159	-	-	0.272	0.100	-	0.100
योग . .						3.303	-	3.303

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-124.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा :-

अनुसूची (1)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	शुजालपुर	लसूल्डया हेजम	1.515 निजी 1.228 शासकीय	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, शाजापुर.	शुजालपुर से लसूल्डया हेजम मार्ग निर्माण.

अनुसूची (2)

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	रानीबाई पति अशोक, लक्ष्मीबाई पति भारतसिंह जाति काछी, नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	54/1	-	-	0.837	0.130	-	0.130
2	दिनेश पिता देवकरण जाति पंवार नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	54/2	-	-	0.888	0.178	-	0.178
3	चंदरसिंह, दलीपसिंह, विष्णुचरण, लखनसिंह, एलमसिंह, पुत्र मुंशीलाल, जसोदाबाई, नि. मुंशीलाल हि. रकबा 270 हे. रणजीतसिंह पुत्र भंवरजी कमलसिंह, बाबूसिंह पुत्र जीतमल, मंशाबाई पुत्री जीतमल हि. 1.588 हे. माखन सिंह, प्रेमसिंह पिता दौलतसिंह हि. 2.381 हे. मदन सिंह, मोहनसिंह, माखनसिंह, लखनसिंह पिता रामप्रसाद हि. रकबा 2.381 हे. जाति नाई, नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	62/1मि.1	-	-	2.199	-	0.418	0.418
4	रेखाबाई पति मुकेश जाति पंवार, नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	62/2	-	-	0.612	0.270	-	0.270
5	कैलाश पिता धूलजी जाति सुतार नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	76/1	-	-	0.028	0.010	-	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	लालजीराम पिता हजारीलाल जाति सुतार, नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	76/2	-	-	0.028	-	0.010	0.010
7	बद्रीप्रसाद पिता शोभाराम हि. रकबा 0.531 हे. कान्तीलाल पिता शोभाराम अनारबाई बेवा शोभाराम हि. रकबा 0.572 हे. जाति सुतार, नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	76/3	-	-	0.028	-	0.010	0.010
8	चंद्रसिंह, दलीपसिंह, विष्णुचरण, लखनसिंह, एलमसिंह आदि व. नं. 62/1मि. 1.	77/1	-	-	3.186	-	0.240	0.240
9	रामचरण पिता पदमसिंह जाति पंवार नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	77/2	-	-	0.796	-	0.249	0.249
योग . .						0.588	0.927	1.515

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/भू-अर्जन अधिकारी, शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2016-125.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा(1) के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा :—

अनुसूची (1)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	शुजालपुर	बगनाखेड़ी	2.463	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, शाजापुर.	ग्राम बगनाखेड़ी से झाड़ला मार्ग निर्माण.

अनुसूची (2)

क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सूरजसिंह, कमलसिंह पिता बालाप्रसाद, जाति मीना नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	159	0.669	-	0.669	0.050	-	0.050

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	कमलसिंह पिता केशरसिंह, जाति गेहलोत, नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	161/1	0.068	-	0.068	0.025	-	0.025
3	प्रेमसिंह, रायसिंह, सुजानसिंह, सरजूबाई, समनबाई, चंदाबाई पिता रामप्रसाद, रेशम बाई बेवा रामप्रसाद, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	161/2	0.068	-	0.068	0.025	-	0.025
4	मदनसिंह पिता गोपीलाल, सुजानसिंह पिता छतरसिंह, अरविंद पिता सिद्धनाथ, गजराज पिता छतरसिंह, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	161/3	0.068	-	0.068	0.025	-	0.025
5	मदनसिंह पिता गोपीलाल, सुजानसिंह पिता छतरसिंह, अरविंद पिता सिद्धनाथ, गजराज पिता छतरसिंह, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	161/4	0.068	-	0.068	0.025	-	0.025
6	इसरसिंह पिता जोरावरसिंह, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	162/1	-	0.135	0.135	-	0.135	0.135
7	माधोसिंह पिता बोदरसिंह हि. रकबा 0.105, भेरुसिंह, बनेसिंह, कैलाशसिंह पिता परबत सिंह, हि. 0.137 समभाग, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	162/3	-	0.127	0.127	-	0.040	0.040
8	रमेशचन्द्र पिता रणजीतसिंह, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	162/4	-	0.115	0.115	-	0.115	0.115
9	धर्मेन्द्र बा. जितेन्द्र ना. बा. पिता दौलतसिंह सरपरस्त माता कृष्णाबाई बेवा दौलतसिंह जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	162/5	-	0.035	0.035	-	0.035	0.035
10	भगवानसिंह, मनोजकुमार पिता राजमल सिंह, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	162/7	-	0.069	0.069	-	0.039	0.039
11	देवीसिंह पिता कुंवरजी, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	162/8	-	0.035	0.035	-	0.035	0.035
12	पेपकुंवरबाई पति कैलाश, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	163	0.094	-	0.094	0.009	-	0.009
13	पेपकुंवरबाई पति कैलाश, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	164	0.073	-	0.073	0.020	-	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	रामसिंह पिता जगन्नाथसिंह, जाति गेहलोत, नि. ग्राम. भूमिस्वामी.	165/1	1.333	-	1.333	0.010	-	0.010
15	रामचन्द्र पिता गेंदालाल, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	165/2	0.889	-	0.889	0.089	-	0.089
16	अनिल पिता सिद्धनाथसिंह, जाति गेहलोत नि.ग्रा. भूमिस्वामी.	185/1	0.418	-	0.418	0.010	-	0.010
17	सूरजसिंह, कमलसिंह पिता बालाप्रसाद, जाति मीना नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	185/2	0.467	-	0.467	0.030	-	0.030
18	दीपसिंह, विष्णुप्रसाद पिता कुमेरसिंह, सुगनबाई बेवा कुमेरसिंह, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	185/4	0.280	-	0.280	0.080	-	0.080
19	मोहनसिंह पिता माधोसिंह, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	185/5	0.138	-	0.138	0.050	-	0.050
20	रामगोपाल पिता भंवरलाल, जाति मीना नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	185/7	0.094	-	0.094	0.050	-	0.050
21	हेमकुंवरबाई पत्नि विजयसिंह, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	185/8	0.235	-	0.235	0.020	-	0.020
22	सुजानसिंह पिता छतरसिंह, जाति गेहलोत नि.ग्रा. भूमिस्वामी.	185/9	0.407	-	0.407	0.040	-	0.040
23	गजराजसिंह पिता छतरसिंह, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	185/10	0.405	-	0.405	0.080	-	0.080
24	रामगोपाल पिता भंवरलाल, जाति मीना नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	201/2	1.651	-	1.651	0.280	-	0.280
25	मोतीलाल, अनोखीलाल, नानीबाई, सोरतबाई पिता बापूलाल, जाति मीना नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	201/3	-	0.616	0.616	-	0.085	0.085
26	समंदरसिंह पिता सिद्धनाथसिंह, जाति गेहलोत नि. ग्रा. झाड़ला, भूमिस्वामी.	201/4	-	0.418	0.418	-	0.104	1.104
27	सोभागसिंह पिता भेरुसिंह, जाति गेहलोत नि. ग्रा. झाड़ला, भूमिस्वामी.	201/6	0.418	-	0.418	0.104	-	0.104
28	रामचन्द्र पिता गेंदालाल, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	202/2	-	0.156	0.156	-	0.066	0.066

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
29	कैलाशचंद्र पिता गिरवरसिंह, जाति गेहलोत नि.ग्रा. भूमिस्वामी.	202/4	0.246	-	0.246	0.110	-	0.110
30	अनिल पिता सिद्धनाथसिंह, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	202/5/1	0.033	-	0.033	0.010	-	0.010
31	लखनसिंह पिता सिद्धनाथसिंह, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	202/5/2	0.125	-	0.125	0.060	-	0.060
32	कैलाशसिंह पिता पर्वतसिंह, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	211/1	0.429	-	0.429	0.105	-	0.105
33	शिवनारायण पिता शंकरलाल, जाति धोबी नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	220	0.543	-	0.543	0.100	-	0.100
34	करणसिंह पिता गोपीलाल, जाति गेहलोत नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	221	0.481	-	0.481	0.110	-	0.110
35	इमरतलाल पिता भंवरलाल, जाति मीना नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	222	1.996	-	1.996	0.030	-	0.030
36	इमरतलाल पिता भंवरलाल, जाति मीना नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	225	0.428	-	0.428	0.070	-	0.070
37	मोतीलाल पिता बापूलाल, जाति मीना नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	228/1	0.455	-	0.455	0.092	-	0.092
38	सूरजसिंह पिता बालाप्रसाद, जाति मीना नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	228/2/1	0.355	-	0.355	0.090	-	0.090
39	रामगोपाल पिता भंवरलाल, जाति मीना नि. ग्रा. भूमिस्वामी.	228/2/2	0.115	-	0.115	0.010	-	0.010
योग . .						1.809	0.654	2.463

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा संकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 अक्टूबर 2016

रा. प्र. क्रमांक-09-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक-1, छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 0518-त.शा.-भू-अर्जन-2015-16 छिन्दवाड़ा दिनांक 29-01-2016 के अन्तर्गत कुसमेली-कबाडिया मार्ग निर्माण हेतु ग्राम-कुसमेली, प.ह.न.-10, ब.न.-69, रा.नि.म.-छिन्दवाड़ा 2, तहसील-छिन्दवाड़ा की निजी भूमि रकबा-0.350 हेक्टेयर के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत भूमिधारकों की निजी भूमि क्रय किये जाने के संबंध में सार्वजनिक सूचना, मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में पृष्ठ क्रमांक 2845 से 2847 में प्रकाशित की गई थी.

उपरोक्त मार्ग निर्माण के सम्बंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक-1, छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 5647/त.शा.-भू-अर्जन-2016-2017 छिन्दवाड़ा दिनांक 04-10-2016 के द्वारा उपरोक्त मार्ग निर्माण चौड़ीकरण के लिये भूमि की आवश्यकता नहीं होने के तथ्य से अवगत कराया गया है. अतः आदेश दिनांक 30-07-2016 के अनुसार मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में पृष्ठ क्रमांक 2845 से 2847 में प्रकाशित की गई सार्वजनिक सूचना को शासन हित में एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

प्र. क्र.-6-अ-82-2015-16-भू-अर्जन-उदयपुरा.—चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2-2014 सात 2ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है. नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है. अतएव निम्न दर्शित भूमि धारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा:—

ग्राम का नाम—पिपलिया पुआरिया, तहसील—उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	पिपलिया पुआरिया.	रविशंकर आ. गुट्टी जाति किरार निवासी ग्राम भू-स्वामी.	64/1 95/3	0.810 0.996	0.014 0.287	कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग बाड़ी जिला रायसेन.	बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातैर उप नहर हेतु.
2		रामसिंह खुशीलाल, परषोत्तम आ. हरप्रसाद जाति किरार निवासी, ग्राम भू-स्वामी.	64/2	0.380	0.170		
3		साहब सिंह आ. लक्ष्मण सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	63	3.481	0.077		
4		हरिशंकर आ. कोमल सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	95/1	0.805	0.003		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	रामकुंवर बाई पत्नि हरिशंकर जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	95/2		0.805	0.002		
6	होशियारसिंह आ. रघवर सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	96		2.047	0.338		
7	श्री लक्ष्मी प्रसाद आ. इमरत लाल जाति ब्रा. नि. ग्राम भूस्वामी.	97		2.590	0.239		
8	विनीताबाई पत्नि ग्यानी प्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	138		2.845	0.143		
9	हेमलताबाई बेवा वीरेन्द्र सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	130		3.517	0.268		
10	ताम्रध्वज आ. टीकाराम जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	127		3.662	0.193		
11	नन्हेलाल आ. मनमोद सिंह बगौरा जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	126/3 126/4		1.064 1.064	0.032 0.080		
12	बल्देव सिंह आ. चुन्नीलाल जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	162/2 452/2		0.555 0.405	0.155 0.014		
13	सियबाई पुत्री शंकर सिंह जाति किरार नि. ग्राम भूस्वामी.	163/1		1.934	0.127		
14	राजेश कुमार आ. अजुददी प्रसाद जाति किरार नि. भूस्वामी.	192		1.923	0.139		
15	दिनेश कुमार आ. नंदकिशोर' जाति सेनी, नि. ग्राम भूस्वामी.	191/1/1 191/2		0.024 1.594	0.016 0.108		
16	रेवाशंकर आ. नंदकिशोर जाति सोनी, नि. ग्राम भूस्वामी.	191/1/2		0.688	0.024		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	कमलेश आ. मोतीलाल जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.		195/3/2	3.366	0.163		
18	दिलीपसिंह, राजेन्द्र सिंह आ. नेतराम सिंह जाति किरार नि. ग्राम भूस्वामी.		196 199/2	0.259 1.178	0.161 0.236		
19	दिलीपसिंह आ. नेतराम जाति किरार नि. ग्राम भूस्वामी.		197	0.259	0.009		
20	रामसेवक आ. तुलराम जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.		198/2	1.550	0.179		
21	देवांस आ. नरेन्द्र सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.		443	2.278	0.549		
22	रमेश आ. परशराम जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.		444	2.869	0.063		
23	लक्ष्मण सिंह आ. चुन्नीलाल जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.		449	1.392	0.167		
24	हरिसिंह आ. नन्हेलाल जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.		452/1	0.991	0.483		
25	हेमलताबाई पत्नि नारायण सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.		504/2/1/1, 504/2/2	1.469 1.619	0.272 0.256		
26	आयुष ना. बा. आ. नारायणसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.		507/2, 507/3/1, 507/3/2	1.017 0.198 0.821	0.122 0.091 0.060		
27	नारायणसिंह आ. हरिसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.		506/1	1.493	0.012		
28	नेकराम आ. प्रताप सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.		483/1	1.250	0.179		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	गोविन्द सिंह आ. हरिसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	481/1 469/2	0.809 1.177	0.094 0.149			
30	देवीसिंह आ. सूरतसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	482	1.153	0.184			
31	हल्केवीर आ. मोहन सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	468	1.214	0.008			
32	शिवनारायण आ. रमेश प्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	469/3/2	1.025	0.125			
33	ब्रजेश कुमार आ. केशव सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	469/3/1	0.137	0.032			
34	जमनाप्रसाद आ. नाथूराम जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	469/5/3	0.587	0.008			
35	धर्मेन्द्र कुमार आ. डालचंद जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	469/5/4	1.024	0.157			
36	देवेन्द्र आ. हरिसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	470/2	1.214	0.062			
37	पुरुषोत्तम आ. कुंजीलाल, शशिबाई पुत्री कुंजीलाल व कस्तूरी बाई बेबा कुंजीलाल जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	394/2	4.307	0.177			
38	दिलीप सिंह राजेन्द्र आ. नेतराम जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	411	1.036	0.207			
39	दशरथ आ. भददू जाति गौड़ निवासी ग्राम भूस्वामी.	412	2.007	0.048			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40	मोहनसिंह बैनीसिंह, हाकमसिंह आ. घासीराम जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	410		1.821	0.140		
41	भगवानसिंह आ. अजुददी प्रसाद जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	409 407/2 407/3		0.886 0.405 0.405	0.215 0.066 0.080		
42	देवीसिंह आ. तुलसीराम जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	413		2.837	0.030		
43	नीलेश कुमार आ. हनुमतसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	408/3		0.607	0.171		
44	हनुमत सिंह आ. कोमल सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	405/1		0.518	0.041		
45	सिद्धार्थ आ. देवीसिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	404		0.886	0.146		
46	हल्केवीर आ. अमान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	403		0.886	0.191		
47	जसवती बाई बेवा कोमल सिंह, पार्वतीबाई बेवा कोमल सिंह, अशोक कुमार, सुप्यार सिंह, श्रीबाई, मायाबाई, हीराबाई, सुषमाबाई पुत्र/पुत्रीयां कोमल सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	368/2/1/1/1		0.594	0.085		
48	प्रीमत आ. भगवान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	368/1		1.307	0.011		
49	ताम्रध्वज आ. टीकाराम जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	155/2 157		1.574 1.291	0.191 0.186		
50	रामेश्वर लक्ष्मणसिंह, परषोत्तम आ. लेखाराम जाति किरार निवासी ग्राम भूस्वामी.	67		3.493	0.278		

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्र.5779-रीडर-भू-अर्जन-2016

कलेक्टर रा. प्र. क्र.-01-ए-82-2016-17

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कं.30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उपनहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-बोरलाय तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी में 25.678 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 63.45 एकड़ (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति सलग्न है) :- अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की बड़दा वितरण शाखा एवं उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम-निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक मूखंड अर्थात् निरंक मानक माप के मूखंड जिसका विवरण निरंक है।

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उपनहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु, ग्राम-बोरलाय तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

सं. क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	2/1/ड 2/2/ड 2/3/ड, 3/1/ड	भूस्वामी	निजिभूमि	0.740	हिरालाल, देवीलाल पिता नानुराम, जाति अहीर, निवासी बोरलाय
2	3/2/1 3/2/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.149	हीरालाल, देवीलाल पिता नानुराम, पारु पिता नानुराम, नवसी बेवा नानुराम जाति अहीर निवासी बोरलाय

स. क.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
3	4/1/3 4/7	भूस्वामी	निजिभूमि	0.410	सालाकराम पिता लक्ष्मण जाति अहिर, निवासी बोरलाय
4	5/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.170	टंटु पिता झापडिया जाति अहिर, निवासी बोरलाय
5	5/4	भूस्वामी	निजिभूमि	0.190	कुसुमबाई बेवा कोरजी व चन्द्रकला पिता कोरजी जाति अहीर, निवासी बोरलाय
6	6/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.080	पवन पिता माधव कुलमी निवासी बोरलाय
7	6/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.060	शोमित पिता मुरार जाति कुलमी निवासी बोरलाय
8	7/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.390	शंकरलाल पिता घर्मा जाति कुलमी निवासी बोरलाय
9	7/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.280	रामेश्वर पिता घर्मा कुलमी निवासी बोरलाय
10	11/2 12/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.410	मंशाराम पिता मिमा जाति अहीर, निवासी बोरलाय
11	12/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.285	जीवनलाल, लक्ष्मण, उमाबाई सुमनबाई, सुमित्रा पिता सिताराम सांता बेवा सिताराम जाति अहिर, निवासी बोरलाय
12	25/2 26/3 27/9 28	भूस्वामी	निजिभूमि	0.380	श्याम, सुन्दर, पिता रमेश जाति कुलमी निवासी बोरलाय
13	26/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.650	अम्बाराम पिता देवजी जाति कुलमी निवासी बोरलाय
14	26/4 27/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.610	गंगाराम पिता देवजी जाति कुलमी, निवासी बोरलाय
15	40/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.060	मुरार पिता किशन जाति कुलमी, निवासी बोरलाय
16	40/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.195	माधव पिता किशन जाति कुलमी निवासी बोरलाय
17	44/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.172	बद्री पिता देवजी जाति अहीर निवासी बोरलाय
18	55/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.095	कैलाश पिता घिस्या जाति सिर्वी, निवासी बोरलाय
19	55/3 57/4	भूस्वामी	निजिभूमि	0.085 0.125 0.210	गोपाल पिता मोती जी जाति सिर्वी, निवासी बोरलाय

स. क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
(20)	55/4	भूस्वामी	निजिभूमि	0.080	विजय पिता धिस्थ्या सिर्वा निवासी बोरलाय
21	57/1 57/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.112	गंगाराम पिता मोती सिर्वा निवासी बोरलाय
				0.080	
				0.192	
22	57/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.150	अनिल पिता कालुराम कुलमी निवासी बोरलाय
23	61 62/1 63/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.120	अनिता पति अनिल कुलमी, निवासी बोरलाय
24	62/2 62/3 63/2 63/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.130	संतोष पिता कालुराम कुलमी, निवासी बोरलाय
25	96/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.103	जगदीश पिता रामा जाति सिर्वा निवासी बोरलाय
26	96/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.103	कैलाश पिता देवजी जाति अहीर निवासी बोरलाय
27	96/5	भूस्वामी	निजिभूमि	0.182	शंकर पिता मुकुन्द जाति अहीर निवासी बोरलाय
28	96/6	भूस्वामी	निजिभूमि	0.278	भगवान पिता मुकुन्द जाति अहीर निवासी बोरलाय
29	96/7	भूस्वामी	निजिभूमि	0.155	जानकी बेवा खेमा जाति कुलमी निवासी बोरलाय
30	98/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.225	हिरदेराम पिता पेमा, देवकुंवर बेवा पेमा जाति अहीर निवासी बोरलाय
31	98/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.262	जयराम, संजयकुमार पिता मोहनलाल जाति सिर्वा निवासी बोरलाय
32	98/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.128	कपिल पिता शांतीलाल, शांतीलाल पिता पेमा, देवकुंवर बेवा पेमा जाति अहीर निवासी बोरलाय
33	102/4	भूस्वामी	निजिभूमि	0.115	रमेश पिता भगवान जाति अहिर निवासी बोरलाय
34	102/5	भूस्वामी	निजिभूमि	0.085	कैलाश पिता भगवान जाति अहिर निवासी बोरलाय
35	103/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.060	ललिताबाई पति सुरेशचन्द्र निवासी बोरलाय
36	103/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.050	ललिताबाई पति सुरेशचन्द्र निवासी बोरलाय

-4-

स. क.	खसता नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
37	104, 105	भूस्वामी	निजिभूमि	0.630	सुरेश पिता अम्बाराम जाति कुलमी, निवासी बोरलाय
38	106/2/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.125	महेश पिता बद्दी निवासी बोरलाय
39	106/2/4 106/2/5	भूस्वामी	निजिभूमि	0.255	दुधा पिता मोती, जाति सिर्वी, निवासी बोरलाय
40	106/2/6	भूस्वामी	निजिभूमि	0.150	धिस्या पिता माध्या सिर्वी निवासी बोरलाय
41	111/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.170	बद्दी पिता हरजी जाति सिर्वी निवासी बोरलाय
42	111/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.172	जितेन्द्र पिता बद्दी जाति सिर्वी निवासी बोरलाय
43	111/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.072	गोपाल पिता हरजी जाति सिर्वी निवासी बोरलाय
44	112/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.440	पुन्या पिता सीताराम, गुलाबबाई बेवा सीताराम जाति अहीर निवासी बोरलाय
45	112/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.124	पुन्या पिता सीताराम, गुलाबबाई बेवा सीताराम जाति अहीर निवासी बोरलाय
46	112/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.110	नानीबाई पति पुनमचंद जाति अहीर निवासी-बोरलाय
47	113	भूस्वामी	निजिभूमि	0.187	अशोककुमार पिता बाबुलाल, राजेन्द्रकुमार पिता खेमराज
48	114/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.310	सतीश, सुरेश पिता अम्बाराम जाति कुलमी निवासी बोरलाय
49	114/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.620	सतीश, सुरेश पिता अम्बारामजी जाति कुलमी निवासी बोरलाय
50	114/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.320	सतीश, सुरेश पिता अम्बारामजी जाति कुलमी निवासी बोरलाय
51	120/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.290	रामलाल, मांगीलाल पिता नराण, शिवकोर बेवा नराण जाति कलाल निवासी धनोरा
52	121/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.155	शंकरलाल पिता धर्मा जाति कुलमी, निवासी बोरलाय
53	121/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.115	माधव पिता शिवजी, कुलमी, निवासी बोरलाय
54	121/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.250	रणछोड पिता शिवजी कुलमी, निवासी बोरलाय

स. क.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
55	121/4	भूस्वामी	निजिभूमि	0.190	गीताबाई पति जगदीश जाति सिर्वा निवासी उटावद
56	122/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.425	शंकर पिता बाला महाकौर बेवा बाला जाति अहिर निवासी बोरलाय
57	141/2 143	भूस्वामी	निजिभूमि	0.325	मोहन पिता भीमा अहिर साकिन-देह
58	147/5	भूस्वामी	निजिभूमि	0.065	रेखा पति प्रकाशचन्द्र अग्रवाल जाति अग्रवाल साकिन-सेन्धवा
59	147/8	भूस्वामी	निजिभूमि	0.055	राधेश्याम पिता छगनलाल अग्रवाल जाति अग्रवाल साकिन-सेन्धवा
60	148/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.630	लक्ष्मण पिता घना सिर्वा साकिन-देह
61	149/2 151/2 155/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.142 0.240 0.382	सीताराम पिता कालु अहिर साकिन-देह
62	155/3/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.345	शांतिलाल पिता सीताराम जाति अहीर, साकिन-देह
63	155/2 157/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.150	जगदीश पिता पेमा जाति सिर्वा साकिन-देह
64	155/2/2 157/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.220	अनिल पिता मोतीलाल जाति कुल्मी साकिन-देह
65	155/4 155/5	भूस्वामी	निजिभूमि	0.120	भिक्या पिता हिरा जाति सिर्वा साकिन-देह
66	155/6	भूस्वामी	निजिभूमि	0.200	कन्हैया पिता भगवान, शांताबाई बेवा पेमा, जाति सिर्वा साकिन-देह
67	195/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.032	सोनिका पति प्रवीण जाति कुलमी निवासी-बोरलाय
68	195/2 193/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.115	रामकौरबाई पिता देवजी, जाति भील, निवासी-अंजड
69	196/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.121	राजेश पिता राधेश्याम, अर्चना, गायत्री पिता राधेश्याम, शारदा बेवा राधेश्याम जाति कुलमी निवासी-बोरलाय
70	196/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.060	राजेश पिता राधेश्याम कुल्मी साकिन-देह
71	202/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.170	फुलसिंग, शिवजी पिता पुन्या, सुन्दर बेवा पुन्या जाति कोली साकिन-अंजड
72	209	भूस्वामी	निजिभूमि	0.080	बालाराम पिता बिसन जाति बलाई साकिन-बोरलाय

स.क.	खसरा/नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
73	211	भूस्वामी	निजिभूमि	0.040	बालाराम पिता बिसन जाति बलाई साकिन- बोरलाय
74	212	भूस्वामी	निजिभूमि	0.445	कलावती पति किशोर जाति भीलाला साकिन-कल्याणपुरा
75	213	भूस्वामी	निजिभूमि	0.105	शांता पति शिवजी जाति अहिर साकिन-अंजड
76	214/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.110	कैलाश पिता घिस्या जाति अहिर साकिन-देह
77	214/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.045	ओमप्रकाश पिता घिस्या जाति अहिर साकिन-देह
78	215	भूस्वामी	निजिभूमि	0.615	कमलीबाई बेवा घिस्या जाति अहिर साकिन-देह
79	229/10	भूस्वामी	निजिभूमि	0.202	भीक्या पिता घिस्या जाति कोली साकिन-देह
80	229/13	भूस्वामी	निजिभूमि	0.160	गजेन्द्र पिता उमरावसिंह, जाति भीलाला, बोरलाय
81	229/14	भूस्वामी	निजिभूमि	0.305	धुरजी पिता पुन्या जाति कोली साकिन-देह
82	259	भूस्वामी	निजिभूमि	0.380	रमेश पिता शंकर जाति कुलमी निवासी बोरलाय
83	260/4 261	भूस्वामी	निजिभूमि	0.020	शंकर पिता भगवान जाति कूलमी निवासी बोरलाय
84	260/5	भूस्वामी	निजिभूमि	0.100	महेश पिता शंकर जाति कुलमी निवासी बोरलाय
85	263/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.265	महेश पिता शंकर जाति कुलमी निवासी बोरलाय
86	263/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.140	राधेश्याम पिता शंकर जाति कुलमी निवासी बोरलाय
87	260/6	भूस्वामी	निजिभूमि	0.040	राधेश्याम पिता शंकर जाति कुलमी निवासी बोरलाय

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
88	* 271 272	भूस्वामी	निजिभूमि	0.036	विनोद पिता रमेशचन्द्र कुलनी साकिन-देह
89	273/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.095	धना पिता लक्ष्मण जाति कोली साकिन-देह
90	273/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.875	अमृत पिता गंगाराम जाति कुल्मी साकिन-देह
91	276/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.120	महेश पिता शकर, जाति कुल्मी, साकिन-देह
92	303/1 क 304/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.045	उदयसाम पिता श्रीमा, शकर पिता कौरजी उंकार पिता धनिया, मोती पिता केशिया जाति सिर्वा पंचगण निवासी बोरलाय
93	330/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.201	रमेश पिता रूपा सिर्वा साकिन-देह
94	333	भूस्वामी	निजिभूमि	0.155	महाकोर पिता दयाराम जाति अहिर साकिन-पिपलुद
95	335/1, 336/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.170	अश्विन पिता महेश जाति कुल्मी निवासी बोरलाय
96	337	भूस्वामी	निजिभूमि	0.455	मोहन, मुकेश पिता सोमजी, सुशीलाबाई बेवा सोमजी जाति कुल्मी साकिन-देह
97	338/3 339/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.075 0.120 0.195	मकसूद बी पति रफतुल्लाह शेख जाति मुसलमान साकिन-देह
98	340/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.310	भास्त पिता रमेश जाति सिर्वा साकिन-देह
99	340/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.234	उंकार पिता धन्या जाति सिर्वा साकिन-देह
100	341/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.152	विजय पिता बट्टी जाति सिर्वा साकिन-देह
101	341/4	भूस्वामी	निजिभूमि	0.254	राजेन्द्र, प्रमोद, देवराम पिता नानुराम, रुक्मणी, शिवकन्या, राधा पिता नानुराम व कमलाबाई बेवा नानुराम, जाति बलाई साकिन-देह
102	377/2 378/1 379/1 431/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.060	धिस्या पिता हिरा जाति सिर्वा साकिन-देह

सू. क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
103	377/3 378/2 379/2 431/9	भूस्वामी	निजिभूमि	0.530	भिक्या पिता हिरा जाति सिर्वी साकिन-बोरलाय
104	380 381/2 381/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.605	हरिराम पिता मनाजी जाति सिर्वी साकिन-देह
105	429/3 429/10	भूस्वामी	निजिभूमि	0.020	हेमचन्द्र पिता रेल्या जाति बारेला साकिन-देह
106	429/11	भूस्वामी	निजिभूमि	0.465	भगवान पिता रेल्या जाति बोरला साकिन-देह
107	430/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.150	शंकर पिता दशरथ, भुरी, लीला, कला पिता दशरथ जाति तेली साकिन-देह
108	431/9	भूस्वामी	निजिभूमि	0.450	कैलाश पिता रेल्या जाति बारेला साकिन-देह (अहस्तान्तरणीय)
109	432	भूस्वामी	निजिभूमि	0.460	शंकर पिता दशरथ, भुरी, लीला, कला पिता दशरथ जाति तेली साकिन-देह
110	460/1	भूस्वामी	निजिभूमि	0.080	संतोष पिता कालुराम जाति कुलमी निवासी बोरलाय
111	462/3	भूस्वामी	निजिभूमि	0.100	सनकी बेवा भीमा जाति कोली निवासी बोरलाय
112	467/4	भूस्वामी	निजिभूमि	0.275	नानुराम पिता विरभान चन्द्रकला पति नानुराम जाति धनगर निवासी-बोरलाय
113	478/2	भूस्वामी	निजिभूमि	0.080	वेस्ती बेवा रामसिंग जाती तडवी भील नीवासी बोरलाय
	योग			25.678	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कर्मांक-11 बड़वानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

3.) अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के सम्मक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र.5780-रीडर-भू-अर्जन-2016

कलेक्टर रा. प्र. क्र.-02-ए-82-2016-17

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कं.30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की बड़दा वितरण शाखा एवं उपनहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-मोहीपुरा तहसील-अंजड जिला-बड़वानी में 20.745 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 51.26 एकड़ (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :- अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की बड़दा वितरण शाखा एवं उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम- निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक मूखंड अर्थात् निरंक मानक माप के मूखंड जिसका विवरण निरंक है।

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की बड़दा वितरण शाखा एवं उपनहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु, ग्राम-मोहीपुरा तहसील-अंजड जिला-बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स. क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	21/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.242	नारायणसिंह पिता डोगरसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
2	21/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.170	महेन्द्रसिंह पिता डोगरसिंह जाति, राजपूत निवासी-मोहीपुरा
3	22/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.198	नटवरसिंह पिता दरियावसिंह जाति, राजपूत निवासी-मोहीपुरा

स.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
4	22/3	भूस्वामी	निजि भूमि	0.214	धिसीबाई पति मोहबतसिंह जाति, राजपुत निवासी-मोहीपुरा
5	25/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.112	परसराम पिता शंकर, झुमकाबाई पति शंकर जाति भारूड निवासी-मोहीपुरा
6	25/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.162	छन्नुबाई बेवा बट्टी, शान्तिलाल, हिरालाल, लोकेन्द्र पिता बट्टी जाति भारूड निवासी-मोहीपुरा
7	26	भूस्वामी	निजि भूमि	0.222	गोकुल पिता नबा जाति, भारूड निवासी-मोहीपुरा
8	33/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.290	फुलकुंवर बाई पति हिम्मतसिंह जाति राजपुत निवासी-अंजड
9	34/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.060	हिम्मतसिंह पिता भुवानेसिंह जाति, राजपुत निवासी- अंजड
10	34/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.080	नटवरसिंह पिता दरियावसिंह जाति, राजपुत निवासी-मोहीपुरा
11	34/3	भूस्वामी	निजि भूमि	0.135	प्रतापसिंह पिता गंगाराम चन्दनसिंह रानु, अंजली पिता बादामसिंह, ना.बा.गा. कोमलबाई बेवा बादामसिंह व कोमलबाई बेवा बादामसिंह, जाति राजपुत निवासी-दतवाड़ा
12	40/1/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.152	मेहताबसिंह पिता नयनसिंह जाति, राजपुत निवासी-दतवाड़ा
13	40/4	भूस्वामी	निजि भूमि	0.222	जितेन्द्रसिंह पिता बादामसिंह जाति राजपुत निवासी- मोहीपुरा
14	41/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.170	मेहताबसिंह पिता उमरावसिंह जाति, राजपुत निवासी-मोहीपुरा
15	42/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.130	केशरसिंह पिता रन्छोड़सिंह जाति राजपुत निवासी-मोहीपुरा
16	42/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.121	राधेश्याम शोभाराम दशरथ पिता रन्छोड़ जाति, राजपुत निवासी-मोहीपुरा
17	43/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.130	दामा पिता रुखडु जाति भारूड निवासी-मोहीपुरा
18	43/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.150	सुखलाल पिता शिवजी जाति धनगर निवासी-मोहीपुरा

सं/क	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
19	44/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.310	लोकेन्द्रसिंह पिता बागसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
20	44/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.360	वीरेन्द्रसिंह पिता बागसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
21	50 72/1 72/3	भूस्वामी	निजि भूमि	0.190	अनिल पिता रमेशचंद्र, प्रेमबाई बेवा रमेशचंद्र भारूड, निवासी-चकेरी
22	51/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.256	जयकिशन पिता धन्नालाल जाति चमार निवासी-बडवानी
23	51/3	भूस्वामी	निजि भूमि	0.101	लोमीराम, दुदालाल पिता सीताराम जाति, भारूड निवासी-मोहीपुरा
24	52/1/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.120	मांगीलाल पिता जोग्या जाति, भारूड निवासी-मोहीपुरा
25	52/1/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.125	मांगीलाल पिता जोग्या जाति, भारूड निवासी-मोहीपुरा
26	55/4	भूस्वामी	निजि भूमि	0.061	अब्दुल आरिफ, अब्दुल सादिक साजिद पिता अब्दुल वाहिद जाति पिंजारा साकिन-अंजड
27	64	भूस्वामी	निजि भूमि	0.048	ओंकारलाल पिता सुखलाल, जाति कुलमी निवासी-अंजड
28	72/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.175	शिवा पिता घिसीलाल जाति कुलमी निवासी-अंजड
29	72/4	भूस्वामी	निजि भूमि	0.070	ललिताबाई पति महादेव जाति धनगर निवासी-अंजड
30	72/5 72/6	भूस्वामी	निजि भूमि	0.175	जालम पिता बाला जाति, भारूड निवासी-चकेरी
31	72/7	भूस्वामी	निजि भूमि	0.160	ललिताबाई पति महादेव धनगर निवासी-अंजड
32	76/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.140	महादेव पिता सीताराम जाति धनगर निवासी-अंजड
33	76/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.265	चंद्रशेखर पिता भगवान जाति सिर्वी निवासी-अंजड
34	76/3	भूस्वामी	निजि भूमि	0.020	महादेव पिता सीताराम जाति धनगर निवासी-अंजड

संक्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
35	76/4	भूस्वामी	निजि भूमि	0.067	धर्मेन्द्र पिता महोदव जाति धनगर निवासी-अजंड
36	84/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.070	सीताराम पिता रन्छोड जाति धनगर निवासी-चकरी
37	85/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.295	नारायण पिता नत्थु जाति सिर्वा निवासी-आवली
38	85/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.098	सुशीलकुमार, नरेन्द्रकुमार पिता भील्या जाति कुलमी निवासी-अजंड
39	89	भूस्वामी	निजि भूमि	0.520	सुशीलकुमार, नरेन्द्रकुमार, सीताबाई, ताराबाई, कलाबाई पिता भील्या जाति कुलमी निवासी-अजंड
40	90/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.027	सुरेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह, लोकेन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह, गायत्रीबाई पिता गणपतसिंह, सुशीलाबाई बेवा गणपतसिंह, जाति, राजपूत, निवासी-अजंड
41	92/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.400	टीकम पिता फत्तु जाति मारुड निवासी-चकरी
42	93/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.160	नारायण पिता नत्थु जाति, सिर्वा निवासी-आवली
43	103/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.365	भगवान पिता फत्तु जाति मारुड निवासी-चकरी
44	109/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.300	गंगाबाई बेवा दुदालाल जाति सिर्वा निवासी-अजंड
45	113/1/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.210	रघुवीरसिंह पिता भुवानेसिंह जाति राजपूत निवासी-अजंड
46	115/1 } 116/1 } क	भूस्वामी	निजि भूमि	0.225	धमकलाल पिता कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी-चकरी
47	125	भूस्वामी	निजि भूमि	0.308	भगवान पिता रणछोड जाति, सिर्वा निवासी-अजंड
48	126/1/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.147	बाबूलाल, लक्ष्मण, हिसलाल, मंगलाबाई नर्मदाबाई पिता भगवान जाति सुतार निवासी-अजंड
49	126/1/2 } 126/2/1 } 126/2/2 }	भूस्वामी	निजि भूमि	0.375	सवदानसिंह, करणसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा

स/क	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
50	126/3	भूस्वामी	निजि भूमि	0.240	डोगरसिंह पिता सायबसिंह, धनकुवरबाई बेवा मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
51	127	भूस्वामी	निजि भूमि	0.648	संजय, पंकज पिता शोभाराम जाति पाटीदार निवासी-अंजड
52	129/2 133/3/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.095	संजय सुनिल सीमाबाई पिता सीताराम लीलाबाई बेवा सीताराम जाति कुलमी निवासी-अंजड
53	129/3 133/3/3	भूस्वामी	निजि भूमि	0.150	गंगाबाई पति मांगीलाल, शिवकुवरबाई पति जगन्नाथ जाति धनगर, निवासी-केशरपुरा
54	129/4 133/3/4	भूस्वामी	निजि भूमि	0.165	लोकेन्द्र ललिता पिता रामेश्वर कलावतीबाई बेवा रामेश्वर जाति कुलमी निवासी-अंजड
55	135	भूस्वामी	निजि भूमि	0.320	राधेश्याम पिता माधव जाति कुलमी निवासी-अंजड
56	148/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.255	बादामसिंह पिता भुवानेसिंह जाति राजपूत निवासी-अंजड
57	148/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.020	बागसिंह पिता भुवानेसिंह जाति राजपूत निवासी-अंजड
58	154/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.220	बलरामसिंह, महेन्द्रसिंह, सुनिलसिंह पिता रतनसिंह, जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
59	154/3	भूस्वामी	निजि भूमि	0.160	भारतसिंह जगदीशसिंह तेजुबाई रुखमणीबाई पिता रामसिंह शारदाबाई बेवा रामसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
60	154/4	भूस्वामी	निजि भूमि	0.215	दुदालाल पिता सीताराम, जाति भारुड निवासी-मोहीपुरा
61	157/1 157/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.055	बलरामसिंह, महेन्द्रसिंह, सुनिलसिंह पिता रतनसिंह, जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
62	166/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.025	फुलकुवर बेवा जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी-मण्डवाडा
63	167	भूस्वामी	निजि भूमि	0.245	बलरामसिंह, महेन्द्रसिंह, सुनिलसिंह पिता रतनसिंह, जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
64	168/2 170/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.038	अमरु पिता रुखडु जाति भारुड निवासी-मोहीपुरा
65	168/3	भूस्वामी	निजि भूमि	0.105	रनछोड, प्रतापसिंह, कमलसिंह, मानसिंह, नर्मदाबाई, लीलाबाई पिता हाबा जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा

स.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
66	168/4	भूस्वामी	निजि भूमि	0.120	मांगीलाल पिता गोपाल जाति धनगर निवासी-केशरपुरा
67	168/5 170/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.120	भारतसिंह, पिता भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
68	168/6	भूस्वामी	निजि भूमि	0.090	शांतिलाल पिता मांगीलाल जाति धनगर निवासी-केशरपुरा
69	168/7	भूस्वामी	निजि भूमि	0.035	शांतिलाल पिता मांगीलाल जाति धनगर निवासी-केशरपुरा
70	170/3	भूस्वामी	निजि भूमि	0.360	दामा पिता रुखडु जाति भारुड निवासी-मोहीपुरा
71	171/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.255	प्रकाश पिता राम दुर्गाबाई, पिंकीबाई, गिरजाबाई, गायत्रीबाई पिता रामा, सूरजबाई बेवा रामा जाति भारुड निवासी-मोहीपुरा
72	173/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.115	हरेसिंह पिता इन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
73	173/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.055	सुखलाल पिता शिवजी जाति धनगर निवासी-मोहीपुरा
74	179/1 180/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.100	प्रदीपसिंह पिता भारतसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
75	179/2 180/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.098	रमेश पिता परसराम जाति कलाल निवासी-मोहीपुरा
76	179/3 180/3	भूस्वामी	निजि भूमि	0.210	इन्दरसिंह ओंकारसिंह धनसिंह सेवतीबाई सुमद्राबाई चन्दुबाई पिता किशोरसिंह कमलाबाई बेवा किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
77	179/4 180/4	भूस्वामी	निजि भूमि	0.030	रमेश पिता परसराम जाति कलाल निवासी-मोहीपुरा
78	181/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.290	हिम्मतसिंह पिता सौभागसिंह जाति राजपूत साकिन-देह
79	185/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.051	रमेश पिता परसराम जाति कलाल निवासी-मोहीपुरा
80	185/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.160	दीपक मनोज पिता जगन्नाथ जाति धनगर निवासी-केशरपुरा
81	185/3	भूस्वामी	निजि भूमि	0.070	सुशीलाबाई बेवा परसराम जाति कलाल निवासी-मोहीपुरा
82	185/4	भूस्वामी	निजि भूमि	0.145	महेश पिता परसराम जाति कलाल निवासी-मोहीपुरा

सं. क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
83	186/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.090	मदन, शान्तिलाल पिता भग्गू जाति भीलाला निवासी-पान्या
84	186/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.065	इंदरसिंह ओंकारसिंह घनसिंह सेवन्तीबाई सुमद्राबाई चन्दुबाई पिता किशोरसिंह कमलाबाई बेवा किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
85	186/4	भूस्वामी	निजि भूमि	0.035	दिलीपसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
86	206/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.292	विक्रमसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
87	207/1 208/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.305	करणसिंह पिता बोखारसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
88	211/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.185	दादुसिंह पिता बोखारसिंह, शिवकुंवर बेवा बोखारसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
89	212/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.080	बाबुसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
90	212/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.072	राकेश पिता बाबूसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
91	214/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.148	गोदावरीबाई बेवा बुदेसिंह, हुकुमसिंह, महेन्द्रसिंह पिता बुदेसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
92	225/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.720	इंदरसिंह ओंकारसिंह घनसिंह सेवन्तीबाई सुमद्राबाई चन्दुबाई पिता किशोरसिंह कमलाबाई बेवा किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
93	228/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.260	योगेशकुमार पिता हेमराज जाति मारु निवासी बगुद तहसील-बडवानी
94	228/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.250	सरदारसिंह पिता नैनसिंह, हरिकुंवरबाई पिता रुखडुसिंह जाति राजपूत निवासी-ग्राम भीलगाव तह.कसरावद
95	229/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.132	सतोष, जितेन्द्र पिता उम्मेदसिंह, बस्कौर बेवा उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा

स.क.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
96	229/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.150	पर्वतसिंह पिता नैनसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
97	231/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.021	अजबसिंह पिता गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी-बगुद तहसील-बड़वानी
98	232/2 233/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.168	मानसिंह पिता फत्तेसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
99	292/3	भूस्वामी	निजि भूमि	0.050	महेन्द्र पिता भवरलाल जाति जैन निवासी-अंजड़
100	353/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.121	हेमन्त, राजेन्द्र पिता लक्ष्मण जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
101	353/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.152	भगवानसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत साकिन-बड़वानी
102	353/3	भूस्वामी	निजि भूमि	0.252	दादुसिंह पिता बाबुसिंह जाति राजपूत निवासी-दतवाडा
103	363/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.550	नथ्युसिंह, कलाबाई पिता दरियावसिंह राजपूत निवासी-सुराना
104	363/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.400	धनसिंह पिता बापूसिंह, सीताबाई बेवा बापूसिंह, संतोषसिंह, संजयसिंह, रेखाबाई अर्चनाबाई पिता दौलतसिंह, चंदुबाई बेवा दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
105	364 365/1	भूस्वामी	निजि भूमि	0.282	कालू पिता सुखलाल जाति धनगर निवासी-मोहीपुरा
106	365/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.297	राजेन्द्रसिंह पिता सोभागसिंह जाति राजपूत निवासी-मोहीपुरा
107	403/2/2	भूस्वामी	निजि भूमि	0.041	कैलाशचन्द्र पिता लिमचंद जाति सिर्वी निवासी-मण्डवाडा
108	408/1ख	भूस्वामी	निजि भूमि	0.475	शैलेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति सिर्वी निवासी-मण्डवाडा
109	408/1घ	भूस्वामी	निजि भूमि	0.231	मटुबाई पति बद्रीलाल जाति सिर्वी निवासी-मंडवाडा

स.क.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
110	409	भूस्वामी	निजि भूमि	0.558	कैलाश पिता लिमचंद, कालूराम खेमचंद रमेशचंद सुन्दरबाई केशरबाई रुखमाबाई पिता मदन जाति सिर्वा निवासी-मण्डवाडा
	योग			20.745	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-11 बड़वानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी वित्त्वंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के सम्मुख आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र.5781-रीडर-भू-अर्जन-2016

कलेक्टर रा. प्र. क्र.-03-ए-82-2016-17

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कं.30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की जामदा माइनर व नंदगांव माइनर एव उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-बोम्या तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी में 6.494 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 16.05 एकड़ (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है - अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की जामदा माइनर व नंदगांव माइनर एव उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम- निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखंड जिसका विवरण निरंक है।

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की जामदा माइनर व नंदगांव माइनर एव उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-बोम्या तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	2/3 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.162 ✓	रमेश पिता हरेसिंग रामीबाई बेवा हरेसिंग जाति मिलाता निवासी पिछोड़ी
2	2/4 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.352 ✓	गोपाल पिता हरेसिंग जाति मिलाता निवासी पिछोड़ी

स.क.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
3	4 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.308 ✓	छोगालाल मंशाराम तुकाराम आशाराम बाबुलाल पिता शंकर मथूरा बेवा शंकर गेदिया चतरिया पिता मंगल्या राजल बेवा फत्या जाति मिलाला निवासी ग्राम
4	5/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.138 ✓	सिताराम पिता बूदा थावली बेवा बूदा भीक्या पिता सोकल्या रमली बेवा सोकल्या गौरा बेवा बाल्या मांग्या पिता रामा जाति मिलाला निवासी ग्राम
5	5/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.073 ✓	रामलाल पिता सन्या जाति मिलाला निवासी ग्राम
6	5/3 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.073 ✓	पवन पिता प्रताप गजरी बेवा प्रताप जाति मिलाला निवासी ग्राम
7	9/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.202 ✓	रमेश पिता शंभु जाति मिलाला निवासी पिछोड़ी
8	14/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.032 ✓	मंशाराम पिता बाबु जाति मिल निवासी जामदा
9	14/5 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.040 ✓	केलीबाई बेवा मगन जाति मिल निवासी ग्राम
10	14/6 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.028 ✓	देवीसिंग पिता भूवान जाति मिल निवासी ग्राम
11	14/7 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.182 ✓	कुवरसिंग पिता भूवान जाति मिल निवासी ग्राम
12	15/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.218 ✓	कालु जगदीश राजामल पिता छगन कला शांता लच्छु मंजु पिता छगन चंदुबाई पिता छगन जाति मिल निवासी ग्राम
13	16/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.097 ✓	सेवालाल पिता रेमसिंग नहाजूबाई बेवा रेमसिंग जाति मिलाला निवासी ग्राम
14	16/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.081 ✓	दिनेश पिता देवीसिंग जाति मिलाला निवासी जामदा
15	16/6 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.113 ✓	यशवन्त पिता देवीसिंग जाति मिलाला निवासी जामदा
16	18/1/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.089 ✓	खरस्या पिता फुलसिंग जाति मिल निवासी ग्राम
17	18/1/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.065 ✓	लक्ष्मण विजय पिता काल्या सयदु बेवा काल्या जाति मिल निवासी ग्राम
18	18/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.129 ✓	डुमसिंग पिता जिरमान रामीबाई बेवा जिरमान जाति मिल निवासी ग्राम

स.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
19	18/3 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.129 ✓	तेनसिंग पिता घुरक्या जाति तड़वी निवासी ग्राम
20	18/4 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.469 ✓	गुलसिंग पिता घुरक्या जाति भिल निवासी ग्राम
21	21/2/1 } 22/1/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.048 ✓	रजान पिता जेता जाति भिल निवासी ग्राम
22	60/3 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.291 ✓	सखाराम छितु पिता गोविन्द जाति मिलाला निवासी कल्याणपुरा ना.बा.छितु पिता गोविन्द पा.कर्ता भाई सखाराम जाति मिलाला निवासी कल्याणपुरा
23	60/4 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.275 ✓	लक्ष्मण विजय पिता कालु सयदु बेवा कालु जाति भील निवासी ग्राम
24	60/8 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.134 ✓	भुरु पिता बल्लु जाति मिलाला निवासी ग्राम
25	61/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.105 ✓	सन्या पिता काल्या जाति मिलाला निवासी ग्राम
26	61/3 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.186 ✓	भादर पिता रुमाल जाति मिलाला निवासी जामदा
27	61/4 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.186 ✓	सखाराम काल्या रामलाल पिता छितु जाति मिलाला निवासी ग्राम
28	61/5 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.113 ✓	पर्वत पिता नानसिंग जाति मिलाला निवासी जामदा
29	68/4 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.235 ✓	पणु कन्हैया कविता संगीता सपना पिता अमरसिंग अ.पा.क.मा रामकुवर व रामकुवर बेवा अमरसिंग जाति मिलाला निवासी पिछोडी
30	68/5 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.275 ✓	भीका पिता बोंदर जाति मिलाला निवासी पिछोडी
31	70 } 71/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.271 ✓	सोमेश्वर पिता गादुराम जानकीबाई बेवा पुरुषोत्तम राधेश्याम पिता बाबुलाल कृष्णकान्त पिता तुकाराम जाति बाम्हण निवासी ग्राम
32	71/5 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0396 ✓	नयनसिंग पिता अमरसिंग जाति भीलाला निवासी ग्राम
33	74/1 } 76/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.202 ✓	शेरसिंग पिता रतन जाति भील निवासी ग्राम
34	74/3 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.036 ✓	सरदार पिता नान्दलिया जाति तड़वी निवासी ग्राम

स.क.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
35	74/9 76/3	भूस्वामी	निजी भूमि	0.129 ✓	कटया संजय पिता विजय ना.बा.टामली लच्छू पिता विजय अ.पा.भुरली पति रतन जाति भील निवासी ग्राम
36	74/10 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.162 ✓	हीरालाल पिता रामा जाति भीलाला निवासी पेन्द्रा
37	74/13 76/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.093 ✓	खुमान पिता सरदीया जाति बारेला निवासी ग्राम
38	75/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.231 ✓	प्रतापसिंग पिता वेस्ता रायली बेवा वेस्ता खुमसिंग गोदु रेमसिंग खुमान पिता गोविंद जाति तड़वी निवासी नन्दगांव
39	81/1/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.146 ✓	घनसिंग पिता रुपसिंग जाति भील निवासी ग्राम
	योग			6.494 ✓	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सभाग कर्मांक-11 बड़वानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है और धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कर्मांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र.5782-रीडर-भू-अर्जन-2016

कलेक्टर रा. प्र. क्र.-04-ए-82-2016-17

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कं.30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की नंदगांव माईनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-नंदगाँव तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी में 0.477 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 1.18 एकड़ (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :- अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की नंदगांव माईनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु, भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम- निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखंड जिसका विवरण निरंक है।

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की नंदगांव माईनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-नंदगाँव तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	17/1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.073	हरि पिता हगरिया जाति भिलाला निवासी-ग्राम
2	17/4	भूस्वामी	निजी भूमि	0.073	जेराम पिता हगरिया जाति भिलाला निवासी-ग्राम

स.क.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
3	21/7 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.121 ✓	खुमान बाबु पिता गोटिया बसूबाई झुमा सोना पिता गाटिया जाति भिलाला निवासी-ग्राम
4	23/4 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.210 ✓	नाथु रामसिंग बालु पिता काल्या जाति भिलाला निवासी-ग्राम
	योग			0.477	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-11 बड़वानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र.5783-रीडर-भू-अर्जन-2016

कलेक्टर रा. प्र. क्र.-05-ए-82-2016-17

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कं.30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की पिछोड़ी व जामदा माइनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-बलखड़ तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी में 4.040 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 9.98 एकड़ (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :- अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की पिछोड़ी व जामदा माइनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु, भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम- निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखंड जिसका विवरण निरंक है।

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की पिछोड़ी व जामदा माइनर एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु, ग्राम-बलखड़ तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	4/1/1✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.180 ✓	रायसिंग पिता टंटीया जाति भीलाला निवासी- पिछोड़ी

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
2	4/1/2 } 5/1/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.105 ✓	तेजाराम पिता गंगाराम रविन रविना पिता राजाराम ना.बा.गा. राजकोरबाई व राजकोरबाई बेवा राजाराम शिवकोरबाई बेवा गंगाराम जाति भीलाला निवासी-पिछोडी
3	4/1/3 } 5/1/3 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.202 ✓	गजु बसू मयाराम जसू जितेन्द्र पिता शोभाराम कमलीबाई बेवा शोभाराम जाति भीलाला निवासी-पिछोडी
4	4/1/4 } 5/1/4 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.097 ✓	मशाराम पिता जलाल जाति भीलाला निवासी-पिछोडी
5	4/1/5 } 6/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.227 ✓	हरसिंग पिता नुरु जाति भील निवासी-ग्राम
6	4/1/6 } 5/1/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.052 ✓	सुनिल पिता गुलाब सुनिता पिता गुलाब ना बा मनीषा पिता गुलाब गा सुनील पिता गुलाब जाति भीलाला निवासी-पिछोडी
7	4/1/7 } 4/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.032 ✓	कन्हैया पिता मशाराम जाति भीलाला निवासी-पिछोडी
8	4/3 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.020 ✓	जंगलिया रंगलिया पिता जसु जाति भील निवासी-ग्राम
9	4/4 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.040 ✓	श्रीराम पिता मशाराम जाति भीलाला निवासी-पिछोडी
10	5/5 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.020 ✓	गणेश मोहन बुदा पिता गोपाल जाति भीलाला निवासी-पिछोडी
11	5/6/1 } 6/2/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.024 ✓	गजु बसू मयाराम जसू जितेन्द्र पिता शोभाराम कमलीबाई बेवा शोभाराम जाति भीलाला निवासी-पिछोडी
12	5/6/2 } 6/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.024 ✓	आशाराम पिता सालकराम जाति भीलाला निवासी-पिछोडी
13	6/3 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.170 ✓	जोगीलाल किशोर बाबुलाल पिता रघुनाथ मोहन मुन्नी नानबाई कंचन नीमा गंगा पिता मडिया जाति भीलाला निवासी-पिछोडी

स.क.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
14	7/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.194 ✓	प्यारसिंग पिता खजान जाति तडवी निवासी-ग्राम
15	7/6 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.008 ✓	किशन पिता मडीया जाति भीलाला निवासी-पिछोडी
16	7/9 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.130 ✓	सकाराम पिता रतनसिंग जाति भीलाला निवासी - पिछोडी
17	22/1घ ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.291 ✓	सरदार रमेश बाउ पिता गुलाबसिंग लाडुबाई बेवा गुलाबसिंग जाति भीलाला निवासी- पिछोडी
18	23/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.140 ✓	काशीराम पिता बाऊ जाति भीलाला निवासी-पिछोडी
19	23/3 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.057 ✓	गोविन्द कालू पूनमसिंग जितेन पिता मगन कैकडी बेवा मगन जाति तडवी निवासी-ग्राम
20	23/4 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.271 ✓	मन्थाराम पिता ईशु जाति भीलाला निवासी-पिछोडी
21	23/5 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.089 ✓	धना पिता ईशु जाति भीलाला निवासी-पिछोडी
22	23/6 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.134 ✓	काशीराम पिता बाऊ जाति भीलाला निवासी-पिछोडी
23	23/7 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.044 ✓	मदन पिता रुखडिया जाति भीलाला निवासी-पिछोडी
24	23/8 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.057 ✓	मदन पिता रुखडिया जाति भीलाला निवासी-पिछोडी
25	23/9 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.344 ✓	धन्नालाल, मन्थाराम पिता ईशु प्रेमबाई बेवा ईशु जाति भीलाला निवासी-पिछोडी
26	24 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.550 ✓	ममता पिता गोविन्द गोमतिबाई बेवा गोविन्द जाति भीलाला निवासी-ग्राम

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
27	25/1 25/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.538	सोमेश्वर, पुरुषोत्तम पि., गोटुराम, बाबुलाल पिता रंगाबा, कृष्णकान्त पिता सुकराम जाति ब्राह्मण निवासी-बडवानी
	योग			4.040	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-11 बडवानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्राक्धान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र.5784-रीडर-भू-अर्जन-2016

कलेक्टर रा. प्र. क्र.-06-ए-82-2016-17

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कं.30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की जामदा व नंदगांव माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-जामदा तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी में 2.601 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 6.43 एकड़ (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :- अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की जामदा व नंदगांव माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम- निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखंड जिसका विवरण निरंक है।

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की जामदा व नंदगांव माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु, ग्राम-जामदा तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	4/7	भूस्वामी	निजी भूमि	0.100	सेवकराम पिता हगरिया जाति भीलाला निवासी ग्राम
2	3/1 5/1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.218	देवराम पिता हगरिया जाति भीलाला निवासी नन्दगांव

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
3	3/2 5/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.170	मोतेसिंग पिता सरदार जाति भीलाला निवासी नन्दगाव
4	6/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.008	राधेश्याम पिता मोतेसिंग जाति भीलाला निवासी नन्दगाव
5	7/3	भूस्वामी	निजी भूमि	0.258	पवन पिता ओकार जाति भीलाला निवासी पिछोड़ी
6	7/4	भूस्वामी	निजी भूमि	0.097	सखाराम पिता ओकार जाति भीलाला निवासी पिछोड़ी
7	9/4 10/8	भूस्वामी	निजी भूमि	0.008	शिवा पिता गिल्या जाति भीलाला निवासी ग्राम
8	9/5 10/9	भूस्वामी	निजी भूमि	0.093	प्रताप पिता गिल्या जाति भीलाला निवासी ग्राम
9	10/1/1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.100	सेवकराम पिता हगरिया जाति भीलाला निवासी ग्राम
10	10/2/1/ग	भूस्वामी	निजी भूमि	0.160	झेतु पिता नरसिंग शिवकोर बेवा नरसिंग जाति भीलाला निवासी ग्राम
11	10/2/2/4	भूस्वामी	निजी भूमि	0.020	मोतेसिंग पिता नहारसिंग जाति भीलाला निवासी पिछोड़ी
12	10/2/2/5	भूस्वामी	निजी भूमि	0.008	मोतेसिंग पिता नहारसिंग जाति भीलाला निवासी पिछोड़ी
13	10/6	भूस्वामी	निजी भूमि	0.070	मोतेसिंग पिता सरदार जाति भीलाला निवासी नन्दगाव
14	10/10	भूस्वामी	निजी भूमि	0.117	झेतु पिता नरसिंग शिवकोर बेवा नरसिंग जाति भीलाला निवासी ग्राम
15	9/2 11	भूस्वामी	निजी भूमि	0.174	भारता तेरिया पिता चेन्या जाति भीलाला निवासी बोम्या
16	20/1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.291	कालु पिता बिसन जाति भीलाला निवासी नन्दगाव
17	20/3	भूस्वामी	निजी भूमि	0.236	पुनमचन्द पिता मोतेसिंग ना.बा. मोहनसिंग पिता भीमसिंग आ.पा.कर्ता भीमसिंग पिता नहारसिंग जाति भीलाला निवासी पिछोड़ी

स.क.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
18	20/6	भूस्वामी	निजी भूमि	0.368	विजयसिंग पिता लोणिया रमती बेवा लाणिया जाति भीलाला निवासी ग्रम
19	23	भूस्वामी	निजी भूमि	0.105	पुनमचन्द पिता मोतेसिंग ना.बा. मोहनसिंग पिता भीमसिंग आ.पा.कर्ता भीमसिंग पिता नहारसिंग जाति भीलाला निवासी पिछोडी
	योग			2.601	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-11 बड़वानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र.5785-रीडर-भू-अर्जन-2016

कलेक्टर रा. प्र. क्र.-07-ए-82-2016-17

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कं.30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की पेण्ड्रा माइनर की ब्रांच माइनर-2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-पेण्ड्रा तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी में 1.284 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 3.17 एकड (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :- अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की पेण्ड्रा माइनर की ब्रांच माइनर-2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम- निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखंड जिसका विवरण निरंक है, का अर्जन किया जाता है:-

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की पेण्ड्रा माइनर की ब्रांच माइनर-2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पेण्ड्रा, तहसील-बड़वानी, जिला-बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	46/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.036	लालसिंग पिता धीरा जाति भिलाला निवासी बड़वानी

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
2	46/10	भूस्वामी	निजी भूमि	0.064	जगदीश पिता धीरा जाति भिलाला निवासी बडवानी
3	46/11	भूस्वामी	निजी भूमि	0.089	रामेश्वर पिता धीरा जाति भिलाला निवासी ग्राम
4	49/1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.097	दयाराम पिता बाउ जाति भिलाला निवासी ग्राम
5	49/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.262	जीवालाल पिता सुक्या जाति भिलाला निवासी ग्राम
6	49/3	भूस्वामी	निजी भूमि	0.121	विकाश पिता गंगाराम अजुदीयाबाई बेवा गंगाराम जाति भिलाला निवासी ग्राम
7	49/8	भूस्वामी	निजी भूमि	0.073	लालसिंग पिता गोकूल जाति भिलाला निवासी ग्राम
8	52	भूस्वामी	निजी भूमि	0.542	बद्री पिता दुधाजी जाति सिर्वी निवासी बडवानी
	योग			1.284	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 बडवानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र.5786-रीडर-भू-अर्जन-2016

कलेक्टर रा. प्र. क्र.-08-ए-82-2016-17

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कं.30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन माइनर, करी माईनर, पिपलाज माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-सजवानी तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी में 6.634 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 16.39 एकड़ (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है - अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन माइनर, करी माईनर, पिपलाज माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम- निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखंड जिसका विवरण निरंक है।

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन माइनर, करी माईनर, पिपलाज माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-सजवानी तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	2/1/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.170 ✓	जगदीश, रूखडु पिता भान्या सुन्दर बेवा भान्या, जाति सिर्वी, नि.-सजवानी
2	4/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.400 ✓	दुदा पिता लालु, शान्ता बेवा लालु, जाति सिर्वी, नि.-सजवानी

सं.क.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
3	20/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.370 ✓	तेरसिंग, रमेश, सावित्री पिता लोण्या, पप्पू लोकेन्द्र, पिकी ना.बा. पिता शोभाराम, ना.बा.गा. माँ कंचन बेवा शोभाराम, भूरी बेवा लोण्या, जाति भीलाला, निवासी-सजवानी ✓
4	21/2 22/2 23/22/1 23/23/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.041 ✓	देवा पिता अमरा जाति सिर्वी ✓ निवासी-सजवानी
5	34/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.700 ✓	भगवान पिता मोटा, ✓ जाति सिर्वी, नि.-सजवानी
6	38/10 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.275 ✓	दुदालाल पिता सुकलाल, जमनाबाई बेवा सुकलाल, जाति बलाई, नि.-सजवानी
7	43/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.320 ✓	दुर्गाबाई पति काशीराम, जाति कुल्मी, ✓ नि.-सजवानी
8	43/2 45/6 45/7 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.075 ✓	जगदिश पिता रामा, ✓ जाति कुल्मी, नि.-सजवानी
9	43/3 45/10 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.160 ✓	सुकलाल पिता रामा, जाति कुल्मी, ✓ नि.-सजवानी
10	43/4 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.205 ✓	पार्वती पति जगदीश, जाति कुल्मी, ✓ नि.-सजवानी
11	44 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.170 ✓	घासीराम पिता छोगालाल, जाति ✓ कलाल, नि.-सजवानी
12	45/2 45/3 46/2 46/3 47/3 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.122 ✓	वैभव, प्रसुन पिता महेश, जाति ✓ भावसार, नि.-बड़वानी
13	47/16 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.125 ✓	घासीराम पिता छोगालाल, जाति ✓ कलाल, नि.-सजवानी
14	47/17 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.300 ✓	मनोहर पिता छोगालाल, जाति कलाल, ✓ नि.-सजवानी

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
15	79/2 81/1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.540 ✓	जगदीश, बाबु पिता रणछोड, जाति सिर्वी, नि.-सजवानी
16	83/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.648 ✓	मोहन पिता रुखडु, सीता, रुकमा, पुष्पा पिता मना, गेन्दी बेवा मना, जाति, सिर्वी, निवासी-लोनसरा
17	84/4 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.036 ✓	मोहन पिता रुखडु, सीता, रुकमा, पुष्पा पिता मना, गेन्दी बेवा मना, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा
18	85/1 85/5	भूस्वामी	निजी भूमि	0.070 ✓	रमेश पिता रन्छोड, जाति सिर्वी, नि.-लोनसरा
19	97/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.235 ✓	तेरू, दीपा, मना, राजाराम पिता पुन्या, पानाबाई बेवा पुन्या, जाति भीलाला, निवासी-लोनसरा
20	97/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.554 ✓	सदिया, दयाराम, सुरेश, मनोहर, देवाबाई पिता नवलसिंग, रामप्यारी बेवा नवलसिंग जाति भीलाला निवासी-ग्राम
21	99/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.050 ✓	जगदीश, रमेश पिता हामा, जाति सिर्वी, नि.-लोनसरा
22	101/8/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.087 ✓	श्रीमति रेखा पति महेश सराफ, जाति महाजन, नि.-बड़वानी
23	146/6 146/10 146/12 147/1 148/1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.130 ✓	विजय, अजय ना.बा.दीपक, पिता राजू, ना.बा.गा. सुमन बेवा राजू भीलाला निवासी-सजवानी
24	146/11 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.222 ✓	कालु पिता सुक्या ना बा गा रुकमा बेवा सुक्या व रुकमा बेवा सुक्या, जाति भीलाला, नि.-सजवानी

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
25	146/13 147/2 148/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.097 ✓	बबलु लक्ष्मी चन्दा ना.बा. पिता सुकथाना बा.गा. लीला बेवा बुदा सरजू जसू पिता बुदा भीलाला नि.-सजवानी
26	146/16 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.170 ✓	शोभाराम पिता फुलसिंग, जाति भीलाला, नि.-सजवानी
27	146/17 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.022 ✓	अमरसिंह पिता ओंकार, जाति बारेला, नि.-सजवानी
28	146/19	भूस्वामी	निजी भूमि	0.140 ✓	बलराम शंकर निर्मला पिता बंशीलाल शंकुतला बेवा बंशीलाल जाति भीलाला निवासी-सजवानी
29	146/21 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.050 ✓	पंकज पिता सुनिल, जाति बारेला, नि.-बड़वानी
30	146/22 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.070 ✓	रंजना पति बलवन्त, जाति बारेला, नि.-सजवानी
31	159/15/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.080 ✓	वेरसिंग पिता झंझाड, भील, नि.-सजवानी
	योग			6.634	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कर्मांक-11 बड़वानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र.5787-रीडर-भू-अर्जन-2016

कलेक्टर रा. प्र. क्र.-09-ए-82-2016-17

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कं.30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की भीलखेडा व पेण्ड्रा एंव उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। ग्राम-भीलखेडा तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी में 1.799 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 4.45 एकड़ (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :- अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की भीलखेडा व पेण्ड्रा एंव उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु। भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम- निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखंड जिसका विवरण निरंक है।

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की भीलखेडा व पेण्ड्रा एंव उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु, ग्राम-भीलखेडा तहसील-बड़वानी जिला-बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	45/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.162 ✓	देवीसिंग पिता रामा जाति भीलाला निवासी ग्राम
2	48/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.040 ✓	देवीसिंग पिता रामा जाति भीलाला निवासी ग्राम

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
3	48/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.110 ✓	श्रीराम काशीराम मंशाराम पिता जागीलाल संजय पिता दौलत ललीता विनिता पिता दौलत लीलाबाई बेवा दौलत जाति भीलाला निवासी ग्राम
4	48/4 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.125 ✓	लाडकीबाई बेवा गंगाराम जाति भीलाला निवासी ग्राम
5	49/3 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.089 ✓	सेवाराम पिता गोविंद रेवाराम पिता गोविंद अ.पा.क.मा अमरीबाई बेवा गोविंद व अमरीबाई बेवा गोविंद जाति भीलाला निवासी ग्राम
6	51/1 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.040 ✓	सोनीबाई पति भुरिया जाति भीलाला निवासी ग्राम
7	51/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.036 ✓	भुरिया पिता भीमा जाति भीलाला निवासी ग्राम
8	54/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.056 ✓	दरियावसिंग पिता चतरसिंग जाति भीलाला निवासी ग्राम
9	54/9 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.142 ✓	गोपाल पिता लक्ष्मण जाति भीलाला निवासी ग्राम
10	54/10 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.138 ✓	नारायण पिता नानुराम जाति भीलाला निवासी ग्राम
11	54/13 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.125 ✓	बद्री पिता भीमा जाति भीलाला निवासी ग्राम
12	54/14 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.113 ✓	बीना बेवा भीमा जाति भीलाला निवासी ग्राम
13	54/16 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.050 ✓	नरसिंग पिता चतरसिंग जाति भीलाला निवासी ग्राम
14	54/17 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.050 ✓	रुमाबाई बेवा नैनसिंग जाति भीलाला निवासी ग्राम
15	54/18 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.145 ✓	विश्राम पिता नानुराम जाति भीलाला निवासी ग्राम
16	54/19 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.048 ✓	बालु मोहन चैनसिंग पिता डोगरसिंग गंगाबाई बेवा डोगरसिंग जाति भीलाला निवासी ग्राम
17	54/20 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.044 ✓	निर्मयसिंग पिता चतरसिंग जाति भीलाला निवासी ग्राम
18	66/2 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.250 ✓	मोती पिता हरजी जाति सिर्वी निवासी ग्राम

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र(हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
19	148 ✓	भूस्वामी	निजी भूमि	0.036 ✓	जगदीश पिता घीसुराम जाति सिर्वी निवासी बडवानी
	योग			1.799 ✓	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-11 बडवानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी वित्त्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन),
डॉ. अम्बेडकर नगर महू), जिला इन्दौर मध्य प्रदेश

डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), दिनांक 3 नवम्बर 2016

क्र. 9-भू-अर्जन-2016

राजस्व प्र. क्र. 12अ-82-2015-16

प्ररूप— "घ" { नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक— 1328/भू-अर्जन/2016, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), दिनांक 17/06/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम— सिरलाय, प0ह0नं0— 46, तहसील— बड़वाह, जिला— खरगोन से ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	मेमदी प.ह.नं.— 26	505	0.105
			506/1	0.049
			508/1	0.057
			506/2	0.010
			508/2	0.089

जिला	तहसील	ग्राम पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	मैमदी प.ह.नं.- 26	507/1/2	0.140
			507/2	0.010
			507/3	0.101
			514/1	0.163
			514/2	
			516	0.114
			517/1	0.284
			517/2	0.019
			518	0.041
			543	0.070
			519/1	0.025
			519/2	0.099
			520/2	0.004
			544/1/ख	0.077
			613/2	0.028
			661/2	0.018
			663/6	0.040
			616/2	0.015
			616/3	0.073
			660/2	0.024
			618/1	0.053
			619/3/1	0.029
			618/2	0.073
			619/2	
			617/1	0.093
			620/1	0.061
			620/4	
			621/1	0.006
			644/2/2	0.020
			644/3	0.082
			645/1/1	0.070
			645/2/1	
645/3/2	0.069			
645/3/2 ख	0.064			
647/1/2	0.018			
647/1/3	0.022			
647/3	0.086			
659	0.004			
660/1	0.053			

जिला	तहसील	ग्राम पटवारी हकका कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	मैमदी प.ह.नं.- 26	661/1	0.022
			662/9	0.075
			663/7	0.031
			661/3	0.030
			663/5	0.009
			719/2	0.075
			719/3	0.082
			720/1	
			791/1/2	0.008
			448/17/1	0.088
			791/3	0.010
			791/4	0.010
			791/5	0.003
			792	0.069
			803/1	0.055
			804/1	0.015
			804/2	0.228
			805/1	0.045
			806	0.169
			832/3	0.072
			833/6/1	0.069
			835/1	0.053
			835/2	0.081
			848/1	0.105
			848/8	0.177
			848/16	0.141
848/14/2	0.096			
848/10/4	0.061			
848/6/1/4	0.052			
848/21/1	0.065			
कुल योग			74	4.454

क्र. 12-भू-अर्जन-2016

राजस्व प्र. क्र. 11अ-82-2015-16

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 1322/भू-अर्जन/2016, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), दिनांक 17/06/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प0ह0नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	हरसौला प.ह.नं.- 24	297	0.092
			300/2	0.066
			306/1	0.044
			306/3/1	0.048
			306/3/2	0.022

जिला :	तहसील	ग्राम / पटवारी इन्डिया कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	हरसौला प.ह.नं.- 24	306/4/1/1 min-1	0.053
			305/2	0.046
			305/4	0.022
			310	0.097
			311/2/1	0.070
			311/2/3	0.053
			311/2/5	0.044
			332/2	0.046
			296/2	0.075
			332/3	0.086
			332/4	0.044
			1018/5	0.075
			1028	0.051
			334/1	0.163
			334/2	0.007
			340/3	0.051
			341/1	0.004
			863	0.088
			864	0.114
			865	0.046
			866/1	0.075
			870	0.216
			888/4/1	0.007
			889/3	0.065
			890/2/1	0.026
			889/8	0.024
			889/9	0.029
			889/10	0.029
			889/11	0.022
			890/3/3	0.070
891/1/2	0.037			
890/3/4	0.005			
890/5	0.055			
891/2	0.024			
892/1	0.097			
893/1	0.014			
892/2	0.062			
962/3/1	0.089			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हलका क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	हरसौला प.ह.नं.- 24	962/3/3	0.053
			963	0.345
			963/2237 छ	0.058
			1008/2/1	0.035
			1008/2/2	0.077
			1019/1	0.053
			1019/2	0.194
			1020/1/1	0.062
			1020/1/2	0.095
			1020/2	0.123
			1030/1	0.119
			1030/2/2	0.117
			1031/1/1	0.031
			1031/1/2	0.013
			1031/1/3	0.013
			1031/1/4	0.004
			1036/1	0.172
			1035	0.005
			1036/3	0.101
			1037/1	0.057
			1037/3	0.128
			1038/2	0.040
1039/4	0.095			
1040/2	0.134			
1125/3	0.057			
1126/1/2	0.042			
1126/2	0.220			
कुल योग			70	4.896

क्र. 15-भू-अर्जन-2016

राजस्व प्र. क्र. 5अ-82-2015-16

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 1327/भू-अर्जन/2016, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), दिनांक 17/06/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प0ह0नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	दतौदा प.ह.नं.- 25	2105/2	0.075
			2106	0.026
			2132	0.022
			2139	0.079
			2140	0.022

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हलका कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	दतौदा प.ह.नं.- 25	2134	0.062
			2135	0.044
			2136	0.079
			2137	0.088
			2153/1/1	0.015
			2156	0.031
			2158/1	0.055
			2168/1	0.088
			2157	0.048
			2167	0.029
			2161/1	0.028
			2166/1	0.063
			2166/4	0.070
			2175/1	0.017
			2176/2	0.022
			2186	0.141
			2169	0.004
			2175/2	0.057
			2176/1	0.031
			2185/2	0.018
			2210/1	0.097
			2252/1/1	0.044
			2213	0.008
			2219/6	0.136
			2219/7	0.075
			2220/3	0.031
			2402/1	0.006
			2220/1/1	0.123
			2244/4	0.146
			2245/1	0.141
			2252/2	0.097
			2261	0.004
2252/1/2	0.075			
2262	0.016			
2263	0.123			
2320	0.008			
2321	0.013			
2322	0.365			

जिला	तहसील	ग्राम पटवारी हस्ताक कमांक इन्दौर (म. प्र.)	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	दतौदा प.ह.नं.- 25	2323	0.040
			2352/1	0.048
			2352/2	0.088
			2352/3	0.048
			2353/1	0.141
			2362/4	0.154
			2363	0.031
			2399/1/1	0.083
			2399/2/2	0.075
			2400/2/2	0.041
			2399/2/3	0.070
			2400/2/1	0.019
			2401	0.132
			2403/2	0.022
			2403/1/1	0.003
			2408/1	0.044
			2409/2	0.099
			2403/1/2	0.003
			2408/2	0.044
			2464/2/1/1	0.009
2464/2/2	0.075			
2464/2/1/2	0.143			
2469/6	0.031			
कुल योग			66	4.165

संदीप जी. आर.,
आई. ए. एस.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं
सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन)

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 19 सितम्बर 2016

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 17-अ-82-2015-16-4143.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—सोहागपुर
(ग) ग्राम—अमहाटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल— (निजी भूमि) 14.973 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
149/1	0.235
150	0.870
152	1.308
153/2	1.011
154/3	0.149
155	4.960
156/9	0.201
146	0.113
131/1/3	0.061
131/1/6	0.041
139	0.061
137	0.101
141/1/1/क	0.051
141/1/3	0.081
149/2	0.230
151	0.409
153/1/4	0.405
153/5	2.023

(1)	(2)
154/4	0.498
156/3	1.640
118	0.010
131/1/2	0.041
131/1/4	0.020
133/3	0.101
136	0.181
141/1/1/ख	0.051
141/1/2	0.101
141/1/4	0.020
योग . .	14.973

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—अमहाटोला जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्र. 5924-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—चंदिया

(1)	(2)	(1)	(2)
(ग) ग्राम—मगर, पटवारी हल्का क्र. 37		85/3	1.315
(घ) लगभग क्षेत्रफल—66.455 हे.		64/1	0.800
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	64/2	0.809
	(हे. में)	65/1/क	1.057
(1)	(2)	65/1/ख	1.056
53	0.800	65/2	0.699
54	0.283	66/1	1.453
56	0.591	66/2	0.405
57/104	0.567	67	0.563
71	1.833	72/1	0.590
55/2/क	0.304	70/1	0.834
78/2/क	0.810	70/2	0.835
55/2/ख	0.303	70/3	0.834
78/3	0.809	70/4	0.435
59/1	3.124	72/2	0.591
59/2	4.047	73/2	0.554
78/4	1.619	74/2	0.033
59/105	0.454	75/2	1.520
69	1.149	72/2	0.591
84/118	0.720	74/1	0.032
83/116	2.144	75/1	1.519
84/119	0.817	77/1/क	1.214
83/117	0.805	84/1/छ	0.809
60/1	0.218	77/1/ख	0.800
62/1	0.231	77/2	1.600
68/1	0.677	78/3	0.809
76/1	0.254	7/2	1.100
60/2	0.219	78/1/ख	1.619
62/2	0.231	78/1/ग/1	0.337
68/2	0.677	78/1/ग/2	0.337
76/2	0.253	78/1/ग/3	0.337
84/120/2	0.162	78/1/ग/4	0.337
84/121/2	0.297	78/1/ग/5	0.337
85/2	1.315	78/1/ग/6	0.337
60/3	0.219	83/1	0.720
62/3	0.230	83/2	0.600
68/3	0.677	84/1/ख	0.405
76/3	0.254	84/120/1	0.162
84/120/3	0.162	84/121/1	0.296
84/121/3	0.297	85/1	1.315

(1)	(2)	(1)	(2)
83/3	0.400	132/1क	0.066
83/4	0.405	124	0.192
83/5	0.430	123	0.108
83/6/क	0.420	121	0.060
84/1/ग	1.214	119/1/क	0.030
84/1/घ	0.809	30/1	0.060
84/1/ङ	0.809	118/1/क	0.030
84/1/च	0.809	29/1/क	0.070
84/2/क	0.810	119/1/ख	0.030
84/2/ख	0.809	118/2	0.030
7/92	0.987	29/1/ख	0.070
50	0.140	29/2	0.022
52/1	0.072	30/2	0.060
53	0.150	34	0.040
48/1	0.090	35	0.132
48/2	0.040	53/1	0.240
27/100	0.165	53/2	0.150
27/101/1	0.017	54/3	0.040
27/101/2	0.017	15	0.210
27/03/2	0.140	159	0.135
27/101/3	0.017	4/1	0.180
27/101/4	0.017		योग . . . 2.766
27/3/4	0.140		
योग . . .	66.455		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—चंदिया
(ग) ग्राम—छतैनी, पटवारी हल्का क्र. 37
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.766 हे.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
146/1	0.165
145	0.198
54/2	0.064
128	0.162
130/2	0.156
132/1ख	0.066

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—चंदिया
(ग) ग्राम—मझौलीखुर्द, पटवारी हल्का क्र. 37
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.873 हे.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
458/1	0.264
468	0.360
469	0.015
470	0.120
420	0.120
431	0.130
436	0.300
427	0.060

(1)	(2)	(1)	(2)
527/537/1	0.060	458/1	0.048
527/537/2	0.060	457	0.100
419	0.150	540	0.100
404/3	0.210	218	
404/2	0.090	452/2	0.110
404/1	0.090	266/2	0.090
405	0.063	221/1	0.019
388/547	0.096	266/3	0.090
388/546/1	0.081	221/2	0.019
388/546/1	0.081	265	0.080
387	0.067	264/543	0.156
386	0.039	264/542	0.100
385	0.048	264/1/ब	0.010
384	0.110	264/3	0.080
381/550	0.072	219	0.030
328/531	0.024	220	0.024
333/3	0.090	221/3	0.019
333/7/ख	0.072	232/1/क	0.013
333/7/क	0.072	232/1/ख	0.013
328/532	0.030	233/1	0.024
328/533	0.030	233/2	0.024
49	0.100	23	0.048
52/486/1	0.067	19/1	0.025
52/486/2	0.067	19/2	0.020
40/2	0.072	17/1	0.016
40/4	0.036	17/2	0.016
40/5	0.040	17/3	0.015
36/1/ग	0.036	14/1/क	0.080
36/1/घ	0.036	14/1/ख	0.080
37	0.144	145/1	0.024
33/3	0.108	14/2	0.080
31/479/1	0.020	109/491/1	0.040
31/479/2	0.020	109/491/2	0.040
31/479/3	0.020	13/1	0.052
26/2	0.036	13/2	0.052
25/3	0.012	10	0.058
25/4	0.020	127	0.100
25/5	0.030	151	0.210
23	0.045	112/1	0.015
31	0.156	112/2	0.015

(1)	(2)	(1)	(2)
112/3	0.015	123/2	0.030
115	0.100	121	0.072
125	0.070	120	0.020
133	0.050	116	0.096
140	0.100	119/1	0.055
132/3	0.044	1/2	0.100
145/2	0.026	2	0.096
152/1/क	0.040	119/2/क	0.014
152/1/ख	0.040	119/2/ख	0.016
141/1	0.070	119/2/ग	0.016
141/2	0.070	119/2/घ	0.016
136	0.044	119/3	0.055
योग . .	<u>6.873</u>	4	<u>0.120</u>

अनुसूची

योग . . 2.639

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
 (ख) तहसील—चंदिया
 (ग) ग्राम—बुढ़िया, पटवारी हल्का क्र. 41
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.639 हे.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
269/272	0.060
234/269	0.086
234	0.096
118	0.084
235	0.168
211	0.086
231/1	0.360
209/1	0.048
95	0.264
209/2	0.048
209/3	0.028
187	0.120
134	0.067
135/1,2,3,5	0.200
135/4	0.060
124/282	0.128
123/1	0.030

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
 (ख) तहसील—चंदिया
 (ग) ग्राम—जिरौहा, पटवारी हल्का क्र. 34
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.828 हे.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
61/2	0.080
61/3	0.096
55	0.090
53	0.072
50	0.030
51	0.096
17/1/ख	0.120
18	0.044
17/1/ग	0.056
17/2	0.144
योग . .	<u>0.828</u>

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया

(ख) तहसील—चंदिया	(1)	(2)
(ग) ग्राम—हरवाह, पटवारी हल्का क्र. 34	166/2	0.088
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.033 हे.	155	0.265

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)		
336/495	0.080	54	0.085
336/494	0.061	50	0.105
338/1	0.108	51/1	0.064
338/2	0.030	52	0.072
221/1	0.090	46/2	0.106
220	0.016	46/1/क	0.014
222	0.092	45/1	0.030
223	0.020	46/1/ख	0.008
324	0.045	45/2	0.016
314	0.060	44	0.040
226	0.080	40/1	0.040
313	0.050	40/2	0.042
240	0.046	32	0.100
241	0.040	26	0.068
242	0.075	20/488	0.060
246	0.060	19	0.040
247/1	0.033	20	0.024
247/2	0.033	18/1	0.048
250	0.080	18/2	0.020
251	0.096	17	0.026
259	0.012	65/1	0.036
252/1	0.016	65/2	0.110
252/2	0.016	211/2	0.020
257	0.052		
213/1	0.180		
213/2	0.220		
211/1	0.030		
208	0.080		
209	0.008		
205	0.084		
148/1	0.060		
204	0.080		
199/1	0.060		
199/2	0.060		
148/2	0.030		
195	0.020		
166/1	0.060		
194	0.075		
166/4	0.120		
166/5	0.048		

योग . . . 4.033

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—चंदिया
(ग) ग्राम—कोठी, पटवारी हल्का क्र. 34
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.933 हे.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
64	0.050
70	0.120
61	0.125
62	0.080
80/1	0.048
80/2	0.048
80/3	0.048
80/4	0.048
80/5	0.048
83/1	0.060

(1)	(2)
83/2	0.060
83/114	0.120
86	0.058
101/2	0.048
102/2	0.080
102/3	0.048
104/1/क	0.012
104/1/ख	0.012
104/1/ग	0.012
104/2	0.036
107/2	0.240
59	0.012
61	0.056
56	0.010
57	0.080
54/1	0.052
98/1/ख	0.180
54/2	0.052
47/1	0.090
योग . .	<u>1.933</u>

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—चंदिया
(ग) ग्राम—हर्राडांड, पटवारी हल्का क्र. 34
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.330 हे.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
48/3/ख	0.140
48/7	0.120
37	0.124
50	0.060
51	0.072
126/4	0.028
127	0.026
126/1	0.028
45/1	0.026
39/1	0.034
39/2	0.034
126/2	0.020
39/3	0.034
126/3	0.044
55	0.040
46/1	0.150
29/1	0.020
29/2	0.020
44	0.210
33	0.100
योग . .	<u>1.330</u>

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—चंदिया
(ग) ग्राम—मानिकपुर, पटवारी हल्का क्र. 34
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.546 हे.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
130/1	0.050
130/2	0.050
130/3	0.052
133/1	0.030
133/2	0.030
133/3	0.030
133/4	0.030
133/5	0.030
133/6	0.030
225/6	0.040
133/7	0.030
133/8	0.030
225/8	0.040
141/1	0.016
141/2	0.016
141/3	0.016
141/4	0.024
141/5	0.024
157	0.090
156	0.060
161/1	0.040
161/2	0.040
162/1	0.040
162/2/क	0.020
162/2/ख	0.020
162/3	0.070
173/1	0.075
173/2	0.075
174	0.012
182	0.080
226	0.096
178/1	0.120
178/2	0.120
233	0.020
योग . .	<u>1.546</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है, मगर जलाशय योजना, तहसील चंदिया के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Jabalpur, the 8th August 2016

No. 817-Confdl.-2016-II-3-1-2016.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Induction Training (Second Phase)** for the newly appointed **Civil Judges Class II of 2015 Batch from 06-09-2016 to 01-10-2016** in the Academy. Trainee Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the afore-said course.

Conditions for the Course :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Course shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by 9.30 a. m. on 06-09-2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
3. The participants shall appear for the course in prescribed uniform (i. e. Black coat, white shirt, grey trousers and black tie in case of men and white saree and blouse with black coat in case of ladies) during the entire duration of the course.
4. The participants shall bring with them records prepared by them regarding the task entrusted to them during their Second Phase Field Training.
5. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Academy by fax (No. 0761-2628679) sufficiently in advance.
6. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.
8. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.
9. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of training and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of training.
10. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course free of charge, as per the rules of the Academy.
11. For maintaining the record, group photograph of the participants may be taken and a banner may also be prepared.

जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to **Shri Pramod Kumar Chaturvedi**, A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to **Shri Gyan Prakash Tekam**, A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to **Shri Pramod Kushwaha**, A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.

क्र. A-3660.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी/ग्रंथपाल/निजी सचिव की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रिक्त पद पर वेतनमान पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 15600—39100+ग्रेड पे रु. 5400/- में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, कॉलम नं. (3) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से पदोन्नत पदस्थापना पर दिनांक 31-08-2016 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. यदि वे निर्धारित समयवाधि में पदोन्नत

पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी एवं भविष्य में उनकी पदोन्नति पर एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा:—

सारणी

क्र.	नाम एवं स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, ग्रंथपाल, मुख्यपीठ, जबलपुर.	जबलपुर
2	श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव, अनुभाग अधिकारी, मुख्यपीठ, जबलपुर.	जबलपुर
3	श्री डी. के. मिश्रा, अनुभाग अधिकारी, खंडपीठ, ग्वालियर.	ग्वालियर
4	श्री प्रशांत पी. गाड़े, निजी सचिव, खण्डपीठ, ग्वालियर.	ग्वालियर

क्र. A-3662.—श्री ए. के. देशमुख, अनुभाग अधिकारी/ग्रंथपाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर की पदोन्नति रिफरेन्स लाइब्रेरियन के रिक्त पद पर वेतनमान पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 15600—39100+ ग्रेड पे रु. 5400/- में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर इस शर्त से साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से पदोन्नत पदस्थापना पर दिनांक 31-08-2016 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी एवं भविष्य में उनकी पदोन्नति पर एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा.

क्र. A-3664.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर एवं खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों का स्थानांतरण कॉलम नं.-(3) कॉलम नं.-(4) में दर्शाई गई स्थापना पर किया जाता है:—

क्र.	नाम एवं पद	कहाँ से	कहाँ को
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री संदीप सिंह ठाकुर, अनुभाग अधिकारी.	खण्डपीठ इन्दौर.	मुख्यपीठ, जबलपुर
2	श्री विपिन चंद्र गुप्ता, अनुभाग अधिकारी.	खण्डपीठ ग्वालियर.	मुख्यपीठ, जबलपुर

क्र. A-3666.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित सहायक ग्रेड एक की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 9,300—34800+ग्रेड

पे रु. 4200/- में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, कॉलम नं. (3) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त से साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांकसे पदोन्नत पदस्थापना पर दिनांक 31-08-2016 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नति पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी एवं भविष्य में उनकी पदोन्नति पर एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा:—

क्र.	नाम एवं स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन का स्थान	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)

1	श्रीमती उमा श्रीवास्तव, खण्डपीठ, इन्दौर.	इन्दौर	रिक्त पद पर
2	श्रीमती हर्षा देशपांडे, खण्डपीठ, ग्वालियर.	ग्वालियर	रिक्त पद पर
3	श्री ए. एन. गुप्ता, खण्डपीठ, इन्दौर	इन्दौर	रिक्त पद पर
4	श्री दिलीप कुमार गुप्ता, मुख्यपीठ, जबलपुर.	ग्वालियर	रिक्त पद पर
5	श्री एम. के. परमार, खण्डपीठ, इन्दौर.	इन्दौर	श्री संदीप सिंह ठाकुर अनु. अधि. खण्डपीठ इन्दौर का स्थानांतरण मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर होने के फलस्वरूप होने वाले रिक्त पद पर.
6.	श्री मुकेश कुमार तिवारी, मुख्यपीठ, जबलपुर.	ग्वालियर	श्री विपिन चंद्र गुप्ता, अनु. अधि. खण्डपीठ ग्वालियर का स्थानांतरण मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर होने के फलस्वरूप होने वाले रिक्त पद पर

क्र. A-3668.—कु. वंदना वर्मा, सहायक ग्रंथपाल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की पदोन्नति ग्रंथपाल के रिक्त पद पर वेतनमान पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 15600—39100+ग्रेड पे रु. 5400/- में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर इस शर्त से साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक

से पदोन्नत पदस्थापना पर दिनांक 31-08-2016 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे। यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करती हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी एवं भविष्य में उनकी पदोन्नति पर एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा।

क्र. A-3672.—श्री संजय शंकर मिश्रा, अनुवादक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इंदौर की पदोन्नति मुख्य अनुवादक के पद पर पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 9,300—34800+ग्रेड पे रु. 3200/- में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर की स्थापना पर इस शर्त से साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से पदोन्नत पदस्थापना पर दिनांक 31-08-2016 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे। यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी एवं भविष्य में उनकी पदोन्नति पर एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा।

क्र. A-3674.—श्री दिलीप वर्मा, अनुवादक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इंदौर की पदोन्नति स्टाम्प रिपोर्टर के पद पर पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 9300—34800+ ग्रेड पे रु. 3200/- में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर की स्थापना पर इस शर्त से साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से पदोन्नत पदस्थापना पर दिनांक 31-08-2016 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे। यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी एवं भविष्य में उनकी पदोन्नति पर एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा।

क्र. A-3676.—श्री आशय दास, अनुवादक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर की पदोन्नति एकजामिनर के पद पर पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 9300—34800+ ग्रेड पे रु. 3200/- में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर की स्थापना पर इस शर्त से साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से पदोन्नत पदस्थापना पर दिनांक 31-08-2016 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे। यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी एवं भविष्य में उनकी पदोन्नति पर एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्र. D-3296-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री रणजीत सिंह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 187 दिवस (एक सौ सत्तासी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-21-ब(एक), दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है:—

गणना-पत्रक

1. श्री रणजीत सिंह, सेवानिवृत्त : 11-04-1983
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विदिशा का नियुक्ति दिनांक.
 2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-06-2016
 3. नियुक्ति दिनांक 11-04-1983 से : 03 वर्ष 10 माह
दिनांक 09-03-1987 तक : 28 दिन.
कुल सेवा अवधि.
 4. दिनांक 10-3-1987 से : 29 वर्ष 03 माह
सेवानिवृत्ति दिनांक तक : 20 दिन.
कुल सेवा अवधि.
 5. कालम (3) में अंकित : 3×15=45 दिन
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन
की दर से).
 6. कालम (4) में अंकित : 28=14×15=210 दिन
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
- टीप:—खण्ड माह की अवधि यदि 1×7=7 दिन
एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित
करते हुए,
7. कुल अर्जित अवकाश : 262 दिन
समर्पण की पात्रता.

8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 75 दिन
लिया गया अवकाश समर्पण
का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 187 दिन
अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट:—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. D-3298-दो-2-22-2013.—श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय राजगढ़ (ब्यावरा) को दिनांक 11 से 13 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 9 एवं 10 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय राजगढ़ (ब्यावरा) को राजगढ़ (ब्यावरा) पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-3300-दो-2-44-2012.—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 11 से 13 जुलाई 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-3302-दो-2-30-2014.—श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 11 से 14 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव मंगल सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-3304-दो-3-420-80-भाग बारह-2014.—श्री बी. सी. मलैया, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 180 दिवस (एक सौ अस्सी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-21-ब(एक), दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है:—

गणना-पत्रक

- श्री बी. सी. मलैया, सेवानिवृत्त : 10-08-1987
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ का नियुक्ति दिनांक.
- सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-06-2016
- नियुक्ति दिनांक . . . से : लागू नहीं.
दिनांक 09-03-1987 तक
कुल सेवा अवधि.
- दिनांक 10-8-1987 से : 28 वर्ष 10 माह
सेवानिवृत्ति दिनांक तक : 20 दिन.
कुल सेवा अवधि.
- कालम (3) में अंकित : लागू नहीं.
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन
की दर से).

6. कालम (4) में अंकित. : 28=14×15=210 दिन
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 210 दिन
समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 30 दिन
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 180 दिन
अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट:—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्र. A-3632-दो-2-23-2014.—श्री डी. एन. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 19 से 21 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. एन. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एन. शुक्ला; उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-3634-दो-2-25-2014.—श्री इकबाल अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 4 से 8 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री इकबाल अहमद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3236-दो-2-4-2015.—श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 19 जुलाई 2016 से दिनांक 21 जुलाई 2016 तक तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती राधा सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-3238-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 14 से 16 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3240-दो-2-6-2016.—श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 14 से 18 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3242-दो-2-14-2012.—श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 28 से 30 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे. खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3245-दो-2-4-2013.—श्री आर. के. जोशी, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 23 से 26 जुलाई 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3247-दो-2-36-2016.—श्री ए. सी. शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 4 से 8 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में 9 एवं 10 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. सी. शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. सी. शुक्ल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3249-दो-3-43-2013.—श्रीमती मीना सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 23 से 29 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-3251-दो-2-58-2007.—श्री बी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 11 से 23 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-1637-दो-2-29-2009.—श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को दिनांक 4 से 5 जुलाई 2016 तक दो दिन का पूर्व स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 4 से 8 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्र. B-3932-दो-2-43-2013.—श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय भोपाल को दिनांक 23 मई 2016 से दिनांक 4 जून 2016 तक के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 5 जून 2016 से दिनांक 10 जून 2016 तक छह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक ग्यारह 11 एवं 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-3934-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 13 जून 2016 से दिनांक 18 जून 2016 तक छह दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 18 जून 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. B-3936-दो-2-10-2016.—श्री बी. सी. मलैया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 4 जुलाई 2016 से दिनांक 8 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 जुलाई 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी. मलैया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-3318-दो-2-26-2012.—श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 16 अगस्त 2016 से दिनांक 20 अगस्त 2016 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 अगस्त 2016 से दिनांक 15 अगस्त 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री हरिशंकर वैश्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशंकर वैश्य उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-3321-दो-2-6-2012.—श्री बी. बी. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 25 जुलाई 2016 से दिनांक 27 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. बी. शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-3323-दो-2-38-2014.—श्री बी. के. जाटव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 16 अगस्त 2016 से दिनांक 20 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 अगस्त 2016 से दिनांक 15 अगस्त 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी.के. जाटव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी.के. जाटव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3325-दो-2-25-2013.—श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 12 जुलाई 2016 से दिनांक 14 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-1663-दो-2-22-2013.—श्री एच. एन. वाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 11 जुलाई 2016 से दिनांक 13 जुलाई 2016 तक के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 14 जुलाई 2016 से दिनांक 16 जुलाई 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. वाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. वाजपेयी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 12 अगस्त 2016

क्र. E-1690-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री पी. एस. पाटीदार, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2016 को उनके अवकाश लेखा में संशोधन/समायोजन किये जाने के उपरांत उनके अवकाश लेखा में 10 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता और आने के फलस्वरूप उन्हें रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी -2968, दिनांक 26 जुलाई 2016 के अंतर्गत 186 दिवस (एक सौ छियासी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति के अनुक्रम में 10 दिवस (दस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये और समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-21-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. E-1694-दो-3-420-80-भाग बारह.—डॉ. मोहम्मद शमीम, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 217 दिवस (दो सौ सत्रह दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-21-ब(एक), दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

गणना-पत्रक

- डॉ. मोहम्मद शमीम, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर का नियुक्ति दिनांक : 23-12-1985
- सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-07-2016
- नियुक्ति दिनांक 23-12-1985 से : 1 वर्ष 2 माह 16 दिन दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
- दिनांक 10-3-1987 से : 29 वर्ष 04 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक 21 दिन. कुल सेवा अवधि.

5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) : 01×15=15 दिन
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) : 28=14×15=210 दिन
1×7=7 दिन
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता : 232 दिन
8. घटाइये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 15 दिन
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. (सेवानिवृत्ति दिनांक 31-07-2016 को शेष अर्जित अवकाश 240+12 दिन) : 217 दिन

नोट:—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897/इक्कीस-ब (एक)07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2016

क्र. 821-गोपनीय-2016-II-3-1-2016(Pt.A).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ दो में दर्शित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को स्तंभ तीन में दर्शित दिनांक से, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (यथा संशोधित) नियम 1994 सहपठित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) (यथा संशोधित) नियम, 2010 के तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत उनकी वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1) संवर्ग में, सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से, वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-II) ए.सी.जे.एम./सी.जे.एम. प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [Senior Civil Judge (Grade-II) ACJM/CJM I ACP Grade] वेतनमान रुपये 43690-1080-49090-1230-56470/- प्रदान करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर एतद्द्वारा निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में वर्णित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शित है, को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियों प्रदान करता है:—

सारणी

क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान एवं जिले का नाम	वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-II) ए.सी.जे.एम./सी.जे.एम. प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [Senior Civil Judge (Grade-II) ACJM/CJM I ACP Grade] वेतनमान रुपये 43690-1080-49090-1230-56470/- प्रदान किये जाने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी	छिन्दवाड़ा	22-07-2013
2	श्री नरेन्द्र पटेल	सोनकच्छ	05-12-2014
3	श्री आशीष श्रीवास्तव (सीनियर)	सिवनी	05-12-2014
4	श्री सतीश कुमार गुप्ता	लहार	05-12-2014
5	श्रीमती दीपिका मालवीय	सीतामऊ	07-12-2014

(1)	(2)	(3)	(4)
6	श्री विकास भट्टेले	पाटन	07-12-2014
7	श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव	उज्जैन	06-12-2014
8	श्री राजेश कुमार अग्रवाल (जूनि.)	गाडरवाड़ा	08-12-2014
9	श्री सुधीर सिंह राठौर	जबलपुर	05-12-2014
10	श्री संदीप श्रीवास्तव	ग्वालियर	15-12-2014
11	श्री धमेन्द्र कुमार सिंह	सतना	05-12-2014
12	श्री रूपम वेदी	आष्टा	08-12-2014
13	श्री मनोज कुमार शर्मा	जबलपुर	05-12-2014
14	श्री साबिर अहमद खान	मुरैना	07-12-2014
15	श्री रूपेश कुमार गुप्ता	इंदौर	05-12-2014
16	श्री कमलेश कुमार इटावडिया	भोपाल	08-12-2014
17	श्री ओम प्रकाश रजक	बण्डा	08-12-2014
18	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जूनि.)	जबलपुर	07-12-2014
19	श्री सुरेन्द्र मेश्राम	इंदौर	10-12-2014
20	श्री निसार अहमद	होशंगाबाद	08-12-2014
21	श्री सुखराम सीनम	भोपाल	07-12-2014
22	श्री प्रदीप राठौर	भोपाल	05-12-2014
23	श्रीमती निशा विश्वकर्मा	ब्यौहारी	08-12-2014
24	श्री अयाज मोहम्मद	सारंगपुर	05-12-2014
25	श्री राम गोपाल प्रजापति	खाचरौद	05-12-2014
26	श्री आशीष टांकले	महू	07-12-2014
27	श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर	देवास	05-12-2014
28	श्री खालिद मोहतरम अहमद	मण्डला	05-12-2014
29	श्री राम सिंह कनौजिया	शहडोल	07-12-2014
30	श्री नरसिंह बघेल	श्योपुर	07-12-2014
31	श्रीमती प्रीति सिंह	जबलपुर	07-12-2014
32	श्री चन्द्र किशोर बारपेटे	होशंगाबाद	07-12-2014
33	श्री रामजी लाल ताम्रकार	लखनादौन	07-12-2014
34	श्री ओम प्रकाश बोहरा	भोपाल	05-12-2014
35	श्री मोहम्मद अनीस खान	भोपाल	08-12-2014
36	श्री जितेन्द्र कुमार बाजौलिया	परासिया	07-12-2014
37	श्री हिदायतउल्ला खान	रहली	07-12-2014
38	श्री प्रहलाद सिंह कमेथिया	राघौगढ़	07-12-2014
39	श्री पूरण सिंह	त्यौंथर	05-12-2014
40	श्री केशव सिंह	इंदौर	09-12-2014
41	श्री हरप्रसाद बंशकार	जावद	24-12-2014
42	श्री दिनेश कुमार खटीक	भोपाल	07-12-2014
43	श्रीमती कीर्ति कश्यप	बैतूल	14-12-2014
44	श्रीमती सुशीला वर्मा	आरोन	05-12-2014
45	श्री राजेन्द्र कुमार	सुसनेर	05-12-2014
46	श्री सुनील कुमार शौक	नरसिंहगढ़	07-12-2014
47	श्री दयाराम अहिरवार	विजयराघोगढ़	07-12-2014

(1)	(2)	(3)	(4)
48	श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी	मंदसौर	07-12-2014
49	श्री जयसिंह सराते	भोपाल	05-12-2014
50	श्री आमोद आर्य	इंदौर	07-12-2014
51	श्री शैलेश भारती भदकारिया	कोलारस	08-12-2014
52	श्री सतीश चन्द्र मालवीय	भोपाल	07-12-2014
53	श्री रामलाल शाक्य	ग्वालियर	07-12-2014
54	श्री कैलाश प्रसाद मरकाम	अशोकनगर	25-06-2015
55	श्री संजय राज ठाकुर	वारासिवनी	28-06-2015
56	श्री अरूण कुमार खराड़ी	इंदौर	24-06-2015
57	श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (जूनियर)	बुढ़ार	24-06-2015
58	श्रीमती अर्चना सिंह	सीहोर	24-06--2015
59	श्री राम कुमार डेहरिया	पाण्डुर्ना	06-06-2016

जबलपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्र. 828-गोपनीय-2016-दो-2-21-63.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (चयन ग्रेड) को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale) रुपये 70290-1540-76450/- में नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम तथा पदनाम	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	रिक्त पद के संबंध में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन.	01-08-2016	श्री डी. एस. सोलंकी, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.

क्र. 830-गोपनीय-2016-दो-2-10-62-(भाग-आठ).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित रिक्त पद पर जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) (Selection Grade Scale) के वेतनमान रुपये 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	रिक्त पद के संबंध में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मोहम्मद सैयदुल अबरार अंसारी	26-02-2016	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.

क्र. 841-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री अशोक कुमार सोंधिया	बड़वानी	मण्डला	मण्डला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
2	श्री उमा शंकर अग्रवाल	रीवा	ग्वालियर	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
3	श्री अरविंद प्रताप सिंह चौहान	गोहरगंज	दतिया	दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
4	श्री मनोज कुमार तिवारी (जूनियर)	मेहगांव	बड़वानी	बड़वानी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
5	श्री शशि भूषण शर्मा	कसरावद	अलीराजपुर	अलीराजपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
6	श्री संजय गोयल	भिण्ड	डिण्डौरी	डिण्डौरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
7	श्री राकेश कुमार गोयल	भोपाल	सतना	सतना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
8	श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान	इंदौर	सागर	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
9	श्री संजय कुमार सिंह	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत के स्थान पर.
10	श्री आलोक कुमार मिश्रा	इन्दौर	उज्जैन	उज्जैन	द्वितीय. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी:— श्री अशोक कुमार सोंधिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बड़वानी का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्र. C-3261-दो-2-8-2015.—श्रीमती रिया त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 16 अगस्त 2016 से दिनांक 19 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 अगस्त 2016, 14 अगस्त 2016 एवं 15 अगस्त 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 अगस्त 2016 एवं 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि वे दिनांक 15 अगस्त 2016 को ध्वजारोहण के दौरान उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर में उपस्थित रहेंगे।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रिया त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दस से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था। प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रिया त्रिपाठी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहतीं।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्र. C-3266-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 3 में वर्णित न्यायिक अधिकारीगण अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक 2 में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे। यह अधिसूचना तालिका के क्रमांक 2 में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है।

Jabalpur, the 11th August, 2016

No. C-3266-III.-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act NO. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officers named in the column No. 3 of the following table shall also hold sitting at places mentioned in the column No. 2 of the table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the column No. 4 for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the places mentioned in Column No. 2 of the table.

ADJ Cadre

S. No.	Places where Link Court is to be held	Name of the Officer and designation	No. of Days for the Link Court
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kurwai	Ku. Anita Bajpayi I ADJ, Basoda, District Vidisha.	1 Week
2	Deori	Shri Kasif Nadeem Khan IV ADJ, Sagar	2 Wees
3	Khurai	Shri Mahendra Kumar Jain VI ADJ, Sagar	15 days

By order of the High Court
VIVEK SAXENA, O.S.D. (D.E.)